राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2024

मई 2025

अत्रि प्रसाद राउत
भारत एन.एस.
वैशाली धारीवाल

भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य में एक विधायिका का प्रावधान करता है। भारत के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दूचेरी में विधानसभाएं हैं। छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में दो सदनों, विधानसभा और विधान परिषद के साथ विधायिकाएं हैं।

विधानमंडलों की तीन प्राथमिक जिम्मेदारियां होती हैं: बिल पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना, सरकारी वित्त की जांच करना और उसे मंजूरी देना, और सरकार को जवाबदेह ठहराना। 2024 में राज्य विधानसभाओं ने 500 से अधिक बिल पारित किए और अपने राज्य के बजट की समीक्षा की जिसका कुल मूल्य लगभग 58 लाख करोड़ रुपए था। इस रिपोर्ट में 2024 में 31 राज्य विधानसभाओं के कामकाज का विश्लेषण किया गया है।

यह विश्लेषण राज्य विधानसभाओं, राज्य के गैजेट्स से प्राप्त आंकड़ों और सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित अनुरोधों के उत्तरों पर आधारित है। स्रोतों और पद्धतियों पर एक विस्तृत टिप्पणी पेज 20 पर उपलब्ध है।

संपूर्ण रिपोर्ट के रेखाचित्रों में राज्य विधानसभाओं के लिए निम्नलिखित संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

राज्य	**संक्षिप्त नाम**	**राज्य**	**संक्षिप्त नाम**	**राज्य**	**संक्षिप्त नाम**
आंध्र प्रदेश	AP	जम्मू और कश्मीर	JK	पंजाब	PB
अरुणाचल प्रदेश	AR	कर्नाटक	KA	राजस्थान	RJ
असम	AS	केरल	KL	सिक्किम	SK
बिहार	BR	मध्य प्रदेश	MP	तमिलनाडु	TN
छत्तीसगढ़	CG	महाराष्ट्र	MH	तेलंगाना	TS
दिल्ली	DL	मणिपुर	MN	त्रिपुरा	TR
गोवा	GA	मेघालय	MG	उत्तराखंड	UK
गुजरात	GJ	मिजोरम	MZ	उत्तर प्रदेश	UP
हरियाणा	HR	नागालैंड	NL	पश्चिम बंगाल	WB
हिमाचल प्रदेश	HP	ओड़िशा	OD		
झारखंड	JH	पुद्दूचेरी	PY		

विषय सूची

खंड	**पेज नंबर**
राज्य विधानमंडलों का कामकाज	1
विषय आधारित कानून	8
स्रोत और कार्य पद्धति	20
अनुलग्नक 1: 2024 में राज्यों कानूनों की सूची	22
अनुलग्नक 2: 2024 में राज्यों द्वारा पारित लेकिन स्वीकृत नहीं हुए बिल्स की सूची	30
अनुलग्नक 3: 2024 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची	31

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

राज्य विधायिका का कामकाज

विधायिका बिल पर चर्चा और उन्हें पारित करती हैं, सरकारी व्यय की समीक्षा और अनुमोदन करती हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराती हैं। 2024 में राज्य विधानसभाओं की बैठक औसतन 20 दिन हुई, जो कुल मिलाकर औसतन 100 घंटे के बराबर थीं। इस अवधि के दौरान उन्होंने 500 से अधिक बिल और 58 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट पारित किए।

2024 में राज्य विधानसभाएं औसतन 20 दिन तक चलीं

ओड़िशा में सबसे ज़्यादा (42) दिनों तक विधानसभा चली, उसके बाद केरल (38) और पश्चिम बंगाल (36) का स्थान रहा। मणिपुर में जहां फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वहां विधानसभा 14 दिनों तक चली। नागालैंड में सिर्फ छह दिन, सिक्किम में आठ दिन और अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में 10-10 दिन तक विधानसभा चलीं। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 16-16 दिन तक विधानसभा चलीं।

संविधान के अनुसार विधानमंडलों को छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए। 11 राज्यों ने एक या दो दिन तक चले छोटे सत्रों के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा किया।

2024 में सात राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओड़िशा में 2023 की तुलना में अधिक दिनों तक बैठकें हुईं। दूसरी ओर, झारखंड और महाराष्ट्र में 2023 की तुलना में कम बैठकें हुईं।

रेखाचित्र 1: 2024 में राज्य विधानसभाओं की बैठक के दिनों की संख्या

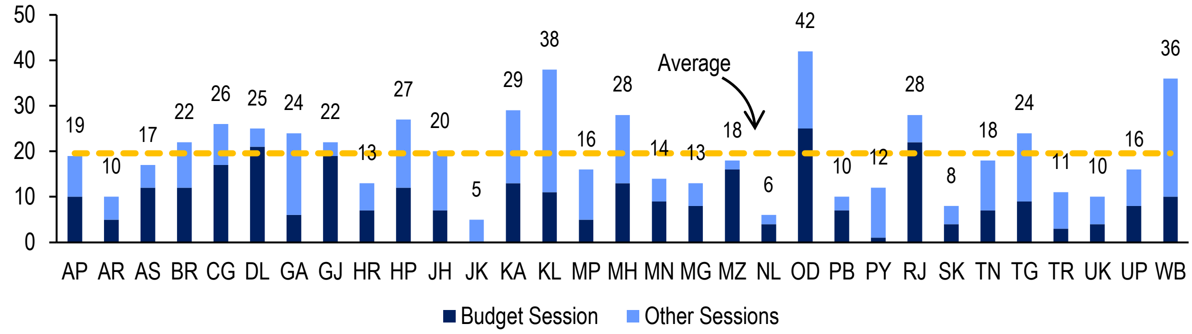

नोट: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की पहली विधानसभा 2024 के अंत में चुनी गई।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा की वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

छह राज्यों में दो सदनों वाली विधायिका है। विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी हैं। 2024 में इन विधान परिषदों ने संबंधित विधानसभाओं की तुलना में समान या कम दिनों के लिए बैठक की: आंध्र प्रदेश (17 दिन), बिहार (21), कर्नाटक (29), महाराष्ट्र (25), और तेलंगाना (18); उत्तर प्रदेश के आंकड़ें उपलब्ध नहीं है। विधान परिषदों की औसतन 22 दिन बैठक हुई, जो 2023 के औसत 26 दिनों से कम है। विधान परिषद के सत्र ज़्यादातर विधानसभा के सत्रों के साथ ही होते हैं। विधान परिषदों के सदस्य (एमएलसी) जनसंख्या के विभिन्न वर्गों, जैसे शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय और विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। एमएलसी सरकार से सवाल भी पूछते हैं और कानून पर चर्चा भी करते हैं। एमएलसी बिल पेश कर सकते हैं और विधानसभा द्वारा पारित बिल्स में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। हालांकि ये संशोधन आम तौर पर अनुशंसात्मक प्रकृति के होते हैं।

विधानसभाएं वर्ष में औसत 30 दिन से कम बैठक करती हैं

2017 में विधानसभाओं की औसत बैठक के दिन 28 थे, जो 2020 में महामारी के चलते घटकर 16 रह गए थे। तब से यह सालाना 20 दिन के करीब ही रहा है। कुछ राज्यों ने कानून बनाकर या प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से वार्षिक बैठक के न्यूनतम दिनों के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लेकिन 2017 से 2024 के बीच किसी भी वर्ष में इनमें से कोई भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया।[1,2,3] (तालिका 1)

रेखाचित्र 2: राज्य विधानसभाओं की बैठक के औसत दिन

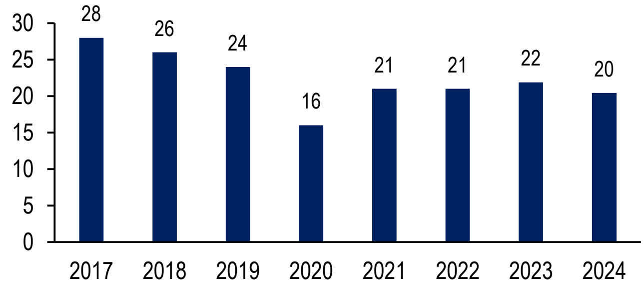

नोट: रेखाचित्र में 29 राज्य शामिल हैं। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा की वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

तालिका 1: विधानसभा के लिए बैठक के दिनों के लक्ष्य

राज्य	बैठक के दिनों की अनिवार्य संख्या	बैठक के औसत दिन (2017-2024)
HP	35	28
KA	60	34
OD	60	40
PB	40	13
RJ	60	29
UP	90	19

स्रोत: विभिन्न राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया के नियम; कर्नाटक राज्य विधानमंडल में सरकारी कामकाज का संचालन एक्ट, 2005; पीआरएस।

कुछ राज्यों में एक वर्ष में बैठक के औसत दिनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है जैसे: (i) केरल (औसतन 44 दिन प्रति वर्ष), (ii) ओड़िशा (40), (iii) कर्नाटक (34), और (iv) पश्चिम बंगाल (34) (रेखाचित्र 3 देखें)।

रेखाचित्र 3: राज्य विधानसभाओं की बैठक के औसत दिनों की संख्या (2017-2024)

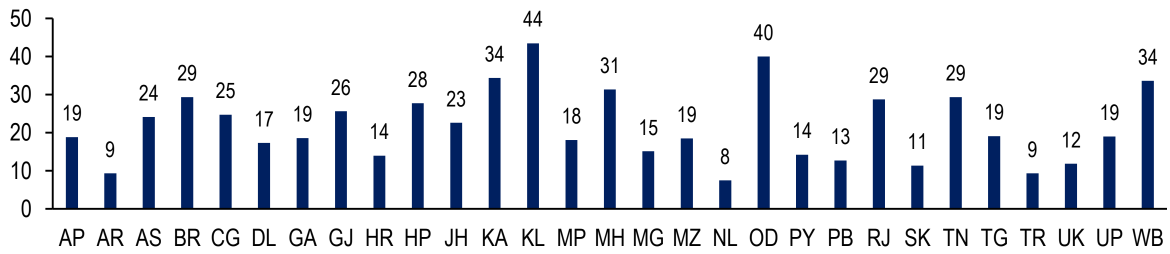

नोट: उपरोक्त चार्ट में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं।
स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा की वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

वर्ष के दौरान विधानसभाओं की बैठक औसत 100 घंटे चलीं

2024 में विधानसभाओं की औसत बैठक 100 घंटे तक चली। चार राज्यों में 50 घंटों से कम समय तक बैठक हुई। केरल, ओड़िशा, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत छह राज्यों में 150 घंटों से अधिक समय तक बैठक हुई।

रेखाचित्र 4: 2024 में राज्य विधानसभाओं की बैठक के कुल घंटे

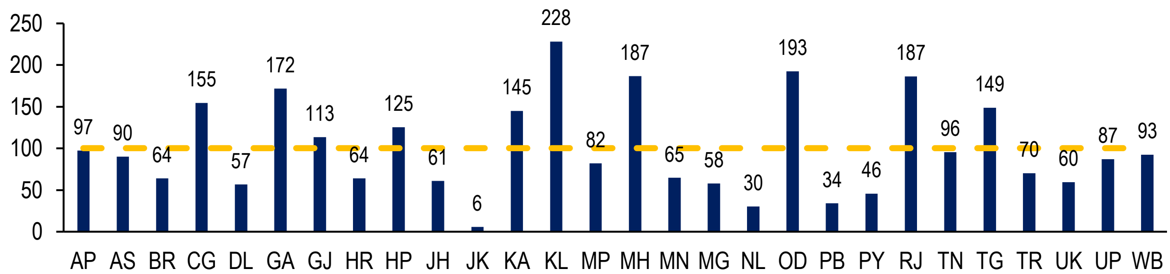

नोट: रेखाचित्र में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम के आंकड़े शामिल नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की पहली विधानसभा अक्टूबर 2024 में चुनी गई थी। स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा की वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

एक बैठक की औसत अवधि पांच घंटे थी लेकिन विभिन्न राज्यों में यह अवधि अलग-अलग थी। गोवा और राजस्थान में बैठकें औसतन सात घंटे तक चलीं, जबकि बिहार, झारखंड और पंजाब में बैठकों की औसत अवधि

लगभग तीन घंटे थी। जब विधानसभाओं की बैठकें वर्ष में कुछ दिनों और कुछ घंटों के लिए होती हैं, तो उनके पास कानूनों और सरकारी वित्त पर चर्चा के लिए सीमित समय होता है।

राज्यों में औसतन 17 बिल पारित; उनमें से 51% बिल पेश होने के एक दिन के भीतर पारित

औसतन, राज्यों ने 2024 में 17 बिल पारित किए। सभी राज्यों द्वारा पारित 500 से अधिक बिल में से, कर्नाटक ने सबसे अधिक बिल (49) पारित किए, उसके बाद तमिलनाडु (45), हिमाचल प्रदेश (32) और महाराष्ट्र (32) का स्थान रहा। जबकि दिल्ली ने केवल एक बिल पारित किया, राजस्थान ने दो बिल पारित किए। ओड़िशा और पुद्दूचेरी ने तीन-तीन बिल पारित किए।

रेखाचित्र 5: 2024 में राज्य विधानसभाओं में पारित बिल की संख्या

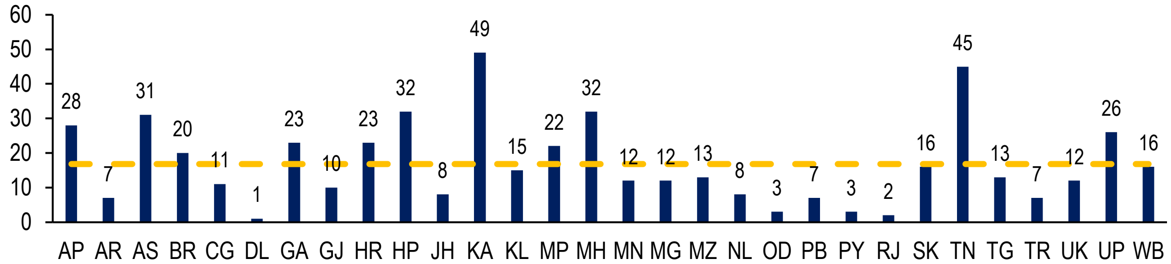

नोट: इस रेखाचित्र में विधान परिषद वाले राज्यों के लिए (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) दोनों सदनों में पारित बिल पर विचार किया गया है। इसमें फाइनांस और एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं हैं। स्रोत: राज्य गैजेट; विभिन्न राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स; आरटीआई; पीआरएस।

आठ राज्यों ने एक ही दिन में सभी बिल पारित कर दिए

2024 में पारित बिल्स में से 51% विधानसभा में पेश किए जाने के दिन या उसके अगले दिन पारित किए गए (रेखाचित्र 6)। 2023 में 44% बिल पेश किए जाने के एक दिन के भीतर पारित हो गए थे। आठ राज्यों- बिहार, दिल्ली, झारखंड, मिजोरम, पुद्दूचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल - ने सभी बिल्स को पेश किए जाने के दिन या अगले दिन पारित कर दिया। झारखंड, मिजोरम, पुद्दूचेरी और पंजाब ने भी 2023 और 2022 में एक दिन के भीतर सभी बिल पारित किए थे। 16 राज्यों में सभी बिल पेश किए जाने के पांच दिनों के भीतर पारित हो गए। चूंकि राज्यों में बैठक के दिन कम होते हैं, इसलिए विधायी गतिविधियां कुछ दिनों में केंद्रित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित 32 में से 17 बिल्स को 5 सितंबर, 2024 को पेश किया गया और अगले दिन पारित कर दिया गया।

रेखाचित्र 6: 2024 में राज्य विधानमंडलों में बिल पारित होने में लगने वाला समय

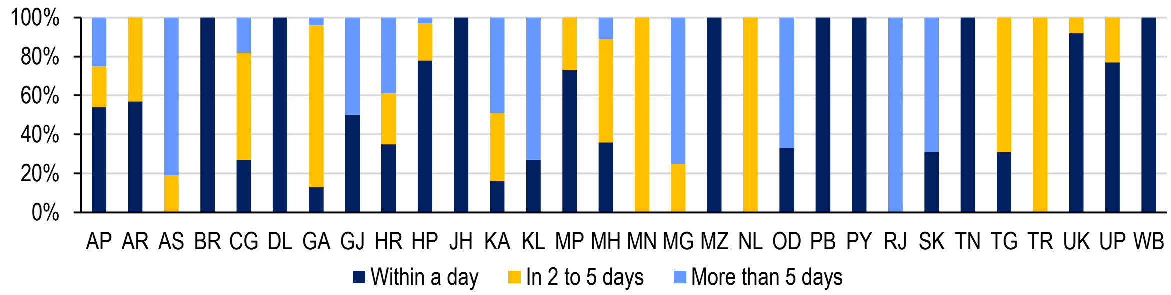

नोट: अगर बिल को पेश किए जाने के दिन या अगले दिन पारित कर दिया गया हो तो उसे एक दिन के भीतर पारित मान लिया जाता है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में बिल को दोनों सदनों में पारित किया जाता है। स्रोत: विधानसभा वेबसाइट; विभिन्न राज्यों के ई-गैजेट; आरटीआई; पीआरएस।

राजस्थान में सभी बिल पारित करने में पांच दिन से अधिक का समय लगा। असम में 81% बिल पारित करने में पांच दिन से अधिक का समय लगा, जबकि मेघालय और केरल में क्रमशः 75% और 73% बिल पारित करने में पांच दिन से अधिक का समय लगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दो ऐसे राज्य हैं, जहां विधान परिषद हैं। यहां विधानसभा द्वारा पारित 75% से अधिक बिल अगले दिन ही विधान परिषद में पारित कर दिए गए।

2024 में पारित होने वाले केवल 4% बिल की समितियों द्वारा समीक्षा की गई

बिल पेश किए जाने के बाद इसे विस्तृत समीक्षा के लिए समिति को भेजा जा सकता है। समिति के सदस्य सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों, जैसे कि क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकते हैं और प्रस्तावित कानून के निहितार्थों को समझने के लिए सार्वजनिक परामर्श कर सकते हैं। समिति की रिपोर्ट बिल में आवश्यक संशोधनों की पेशकश कर सकती है और सदन में अधिक जानकारीपूर्ण बहस में मदद कर सकती है।

2024 में पेश किए गए 500 से ज़्यादा बिल्स में से 22 को सात राज्यों की समितियों को भेजा गया। इनमें से 15 बिल्स की रिपोर्ट्स को उनकी संबंधित विधानसभाओं में पेश किया गया। केरल में 12 बिल विषय संबंधी समितियों को भेजे गए। ये बिल गैर-निवासी केरलवासियों के कल्याण और मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे विषयों से संबंधित थे। केरल में इनमें से सात समितियों ने बिल भेजे जाने के दो दिन के भीतर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश किए जाने के एक हफ़्ते के भीतर ये बिल पारित कर दिए गए।

कुछ बिल्स को प्रवर समितियों को भेजा जाता है, जो बिल की समीक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से बनाई जाती हैं। केरल ने एक बिल, केरल पब्लिक रिकॉर्ड्स बिल 2023 को जुलाई 2024 में प्रवर समिति को भेजा।[4] समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। राजस्थान ने राजस्थान भूजल (संरक्षण और प्रबंधन) अथॉरिटी बिल, 2024 को प्रवर समिति को भेजा। इस समिति ने भी अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।[5] कर्नाटक ने सहकारिता से संबंधित मामलों को रेगुलेट करने वाले दो बिल्स को विधान परिषद की प्रवर समिति को भेजा। प्रवर समिति ने चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद इन दोनों बिल्स पर विचार किया गया और दोनों सदनों में पारित किया गया।

द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में बिल्स को एक संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। कर्नाटक ने ग्रेटर बेंगलुरू गवर्नेंस बिल, 2024 को दोनों सदनों की संयुक्त चयन समिति को भेजा।[6,7] समिति ने मार्च 2025 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें विभिन्न संशोधनों का सुझाव दिया गया। विधानमंडल ने समिति के सुझावों को शामिल करते हुए बिल को पारित कर दिया। महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा बिल, 2024 को भी एक संयुक्त समिति को भेजा, जिसने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।[8]

वार्षिक बजट पर औसतन सात दिनों तक चर्चा की गई

विधानमंडल वार्षिक सरकारी बजट पर चर्चा और उसे पारित करते हैं। इसी के जरिए सरकारी वित्त की समीक्षा की जाती है। बजट पर आम तौर पर दो चरणों में चर्चा की जाती है: एक सामान्य चर्चा, उसके बाद मंत्रालय-वार व्यय पर चर्चा। 2024 में 28 राज्यों ने औसतन सात दिनों तक बजट पर चर्चा की। केरल और गोवा ने पूरे बजट पर चर्चा करने में 18 दिन व्यतीत किए। उसके बाद ओडिशा (16), गुजरात (14) और राजस्थान (13) का स्थान रहा। मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना सहित छह राज्यों ने दो दिनों में अपने बजट पर चर्चा की और उसे पारित किया।

रेखाचित्र 7: 2024 में बजट और मंत्रालय के व्यय पर चर्चा में व्यतीत दिन

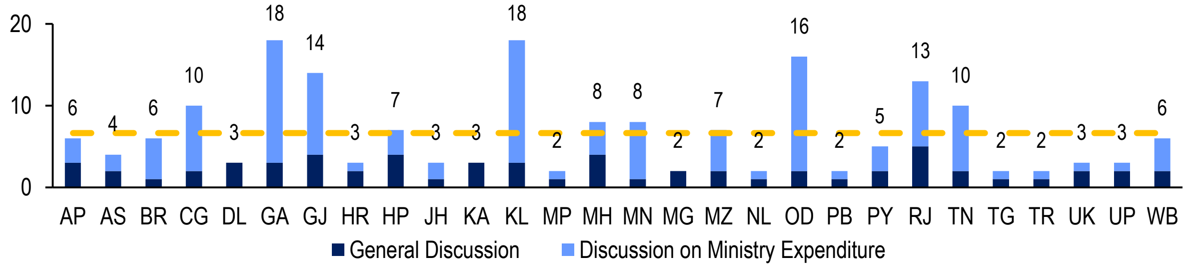

नोट: इस रेखाचित्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इसमें लेखानुदान पर कोई चर्चा शामिल नहीं है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके लिए पूर्ण बजट का आंकड़ा इस्तेमाल किया गया है। स्रोत: विधानसभा वेबसाइट; पीआरएस।

संसद आम तौर पर बजट सत्र के दौरान तीन से चार सप्ताह के लिए बंद हो जाती है। इससे संसद की स्थायी समितियों को मंत्रालयों के व्यय प्रस्तावों पर विस्तार से समीक्षा करने का मौका मिल जाता है। ओड़िशा की नव निर्वाचित विधानसभा में बजट पर 22 दिन तक सामान्य चर्चा हुई और फिर मंत्रालयों के व्यय पर चर्चा की गई। केरल में 2024 का बजट फरवरी में पेश किया गया और उस पर मतदान हुआ; बाद में राज्य ने जून और जुलाई में मंत्रालयों के व्यय पर चर्चा करने में 15 दिन व्यतीत किए। हालांकि अधिकांश विधानसभाओं में अवकाश अवधि नहीं होती है। वे मंत्रालयों के व्यय की समीक्षा विस्तार से करने के लिए समितियों का गठन भी नहीं करते हैं।

रेखाचित्र 8: सामान्य चर्चा और मंत्रालय के व्यय पर चर्चा के बीच के दिन

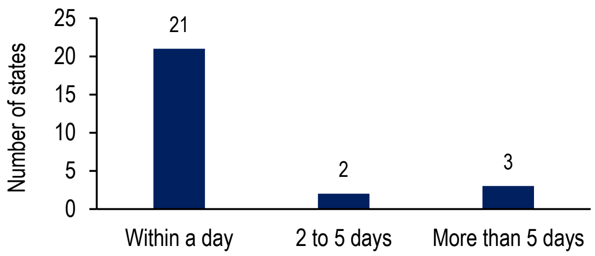

नोट: एक दिन के भीतर का अर्थ है कि मंत्रालय के व्यय पर चर्चा उसी दिन शुरू हुई जिस दिन सामान्य चर्चा समाप्त हुई, या उसके ठीक अगले दिन। 2024 के लिए 26 राज्यों के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। स्रोत: विधानसभा वेबसाइट्स; पीआरएस।

आठ राज्य विधानसभाओं में उपाध्यक्ष का पद रिक्त

तालिका 2: उपाध्यक्ष के बिना विधानसभाएं

राज्य	कितने वर्षों से उपाध्यक्ष नहीं है
छत्तीसगढ़	1.4
जम्मू एवं कश्मीर	0.5
झारखंड	20.2
मध्य प्रदेश	5.2
राजस्थान	6.3
तेलंगाना	1.4
उत्तराखंड	3.3
उत्तर प्रदेश	3.2

स्रोत: विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; पीआरएस।

संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभाओं को जल्द से जल्द अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में दो सदस्यों का चयन करना चाहिए। अप्रैल 2025 तक आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपाध्यक्ष नहीं थे। झारखंड ने 20 से अधिक वर्षों से एक भी उपाध्यक्ष नहीं चुना है। पिछली उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने अंतिम सत्र में उपाध्यक्ष का चुनाव किया था। वर्तमान विधानसभा अपने कार्यकाल के तीन वर्ष बाद भी अभी तक उपाध्यक्ष नहीं चुन पाई है।

संविधान में उपाध्यक्ष को कुछ मुख्य कार्य सौंपे गए हैं। वह अध्यक्ष के निधन या इस्तीफे के कारण रिक्त पद की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी प्राप्त करते हैं और उस प्रस्ताव पर चर्चा की अध्यक्षता करते हैं।

संयोग से जून 2019 से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। फरवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी के बारे में एक जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था।[9]

विधानमंडल और राज्यपाल के संबंध

कुछ राज्यों में सत्र को बुलाने और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर समस्याएं रहीं

राज्यपाल द्वारा सदन को बुलाने से विधानसभा का सत्र शुरू होता है और राज्यपाल के सत्रावसान (औपचारिक रूप से इसे समाप्त करने) की घोषणा पर समाप्त होता है। सत्र का आरंभ और सत्रावसान, दोनों ही राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी किए जाते हैं। सत्र के दौरान अध्यक्ष सत्रावसान की घोषणा और उसे स्थगित करता है। फरवरी 2023 में पंजाब सरकार ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि राज्यपाल बजट सत्र नहीं बुला रहे हैं। इस पर न्यायालय ने कहा था कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हैं।[10] कुछ राज्यों ने सत्रावसान ही नहीं किए हैं जिससे अध्यक्ष को राज्यपाल के सम्मन के बिना ही सत्र बुलाने की सुविधा मिल गई है। 2024 में तीन राज्यों (दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में सत्रावसान के बिना छह महीने से अधिक समय तक सत्र जारी रहा, जिसमें बैठकों के बीच लंबा अंतराल था। दिल्ली में फरवरी से दिसंबर 2024 तक एक सत्र चलता रहा। तमिलनाडु में, वही सत्र फरवरी से दिसंबर 2024 तक जारी रहा, जिसमें 18 बैठकें हुईं।

पश्चिम बंगाल में जुलाई 2023 में शुरू होने वाला सत्र मई 2025 तक स्थगित नहीं किया गया है। इस लंबे सत्र के कारण राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई। संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार, राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा को संबोधित करना चाहिए। फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा की

पहली बैठक राज्यपाल के अभिभाषण के बिना शुरू हुई। 7 फरवरी को अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि सदन की बैठकें 2023 में शुरू होने वाले चौथे सत्र का हिस्सा थीं, इसलिए उन्हें कैलेंडर वर्ष का पहला सत्र नहीं माना जाना चाहिए।[11] हालांकि राज्यपाल ने 2025 की पहली बैठक के दिन विधानसभा को संबोधित किया।[12] तमिलनाडु में फरवरी 2024 में राज्यपाल ने विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया था और सदन से बाहर चले गए थे; इसी तरह की घटना जनवरी 2025 में भी हुई थी।[13,14]

कुछ राज्यों में बिल्स पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने में काफी समय लगता है

विधानमंडल में बिल पारित होने के बाद उसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। वह मंजूरी दे सकता है, बिल को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है, या बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल को बिल्स को जल्द से जल्द मंजूरी देनी चाहिए। 2024 में विभिन्न राज्यों में राज्यपालों द्वारा बिल्स को मंजूरी देने में लगने वाले समय में काफी भिन्नताएं थीं।

2024 में पारित होने वाले 18% बिल्स को तीन महीने से अधिक समय के बाद मंजूरी मिली (इसमें अप्रैल 2025 तक मंजूरी का इंतजार करने वाले बिल शामिल हैं)। जिन राज्यों में सबसे बड़ी संख्या में बिल्स को तीन महीने से ज्यादा समय लगा, उनमें हिमाचल प्रदेश (72% बिल्स), सिक्किम (56%) और पश्चिम बंगाल (38%) शामिल हैं।

राज्यों में 60% बिल्स को एक महीने के भीतर राज्यपाल की मंजूरी मिली। पांच राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मिज़ोरम और राजस्थान) में सभी बिल्स को एक महीने के भीतर मंजूरी मिली।

रेखाचित्र 9: 2024 में बिल्स को राज्यपाल की मंजूरी मिलने में लगने वाला समय

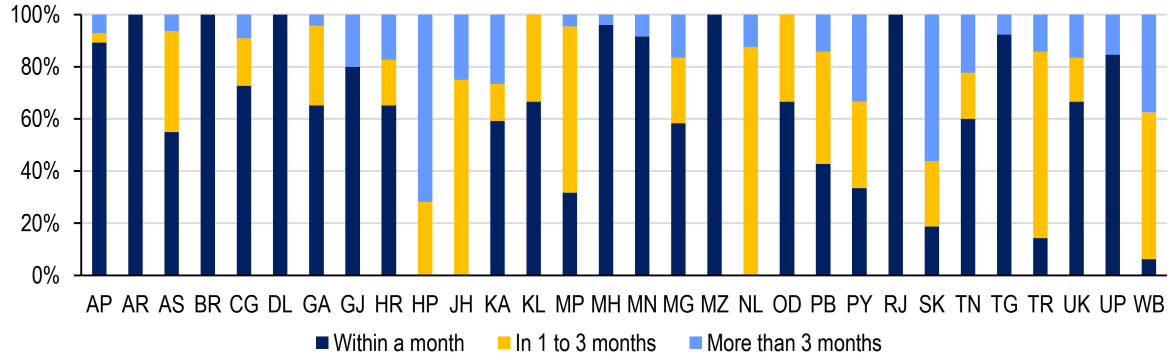

नोट: रेखाचित्र में 2024 में पारित बिल प्रदर्शित किए गए हैं। "more than 3 months" में 2024 में पारित और 30 अप्रैल, 2025 तक मंजूरी के लिए लंबित बिल भी शामिल हैं। स्रोत: विधानसभा वेबसाइट; विभिन्न राज्यों के ई-गैजेट; राज्य विधानसभाओं से आरटीआई पर उत्तर; पीआरएस।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों की मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित की

तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के पास लंबित 12 बिल्स को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिन्हें 2020 से 2023 के बीच विधानसभा ने पारित किया था।[15] न्यायालय के नोटिस के बाद राज्यपाल ने 2023 में इनमें से 10 बिल विधानसभा को लौटा दिए। विधानसभा द्वारा इन्हें दोबारा पारित करने के बाद राज्यपाल ने बिल्स को राष्ट्रपति की राय के लिए सुरक्षित रख लिया।

न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को बिल्स को रोकने और उन पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है। अदालत के निर्णय में राज्यपाल को बिल्स के संबंध में फैसला लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने में एक महीने तक का समय ले सकते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध राज्यपाल किसी बिल को विधानमंडल को वापस भेजने या राष्ट्रपति को भेजने में तीन महीने तक का समय ले सकते हैं। हालांकि विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किए गए और फिर से पारित किए गए बिल पर राज्यपाल को एक महीने के भीतर मंजूरी देनी होती है। निर्णय में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु में लंबित 10 बिल स्वीकृत माने जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय केरल के राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित सात बिल्स से संबंधित याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है।[16]

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने 2024 में बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी किए

संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल असाधारण परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव कानून जैसा होता है। हालांकि ये कानून अस्थायी होते हैं और इन्हें विधायिका की अगली बैठक के छह सप्ताह के भीतर मंजूर किया जाना चाहिए।

2024 में 20 राज्यों ने कुल 100 अध्यादेश जारी किए। सभी अध्यादेशों पर बाद में बिल लाए गए। सबसे अधिक अध्यादेश उत्तर प्रदेश (22) द्वारा जारी किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र (18) का स्थान रहा। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक शिक्षा जैसे विषयों पर अध्यादेश जारी किए गए। महाराष्ट्र में निवर्तमान सरकार ने जुलाई 2024 में विधानसभा के अंतिम सत्र के बाद 14 अध्यादेश जारी किए। ये अध्यादेश शहरी प्रशासन और सहकारी समितियों के रेगुलेशन जैसे विषयों से संबंधित थे।

रेखाचित्र 10: 2024 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेश

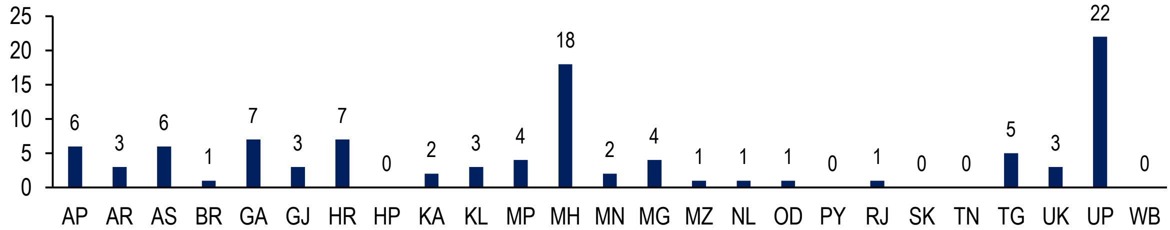

नोट: अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, या उनकी पुष्टि नहीं की जा सकी। स्रोत: राज्य गैजेट, विभिन्न राज्यों की विधानसभा वेबसाइट्स; पीआरएस।

विषय आधारित कानून

संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों को सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन, कृषि और स्वास्थ्य जैसे मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देती है। यह खंड 2024 में पारित होने वाले बिल्स की झलक दिखाता है। पारित किए गए सभी बिल्स में से लगभग आधे बिल तीन मुख्य क्षेत्रों से संबंधित हैं: शिक्षा, वित्त और स्थानीय शासन। कई राज्यों ने भूमि और संपत्ति के अधिकार, आपराधिक कानून और सरकारी प्रशासन पर भी बिल पारित किए। निम्नलिखित बिल्स की सूची और हाइपर लिंक अनुलग्नक 1 और 11 में दिए गए हैं।

रेखाचित्र 11: 2024 में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विषय-वार कानून

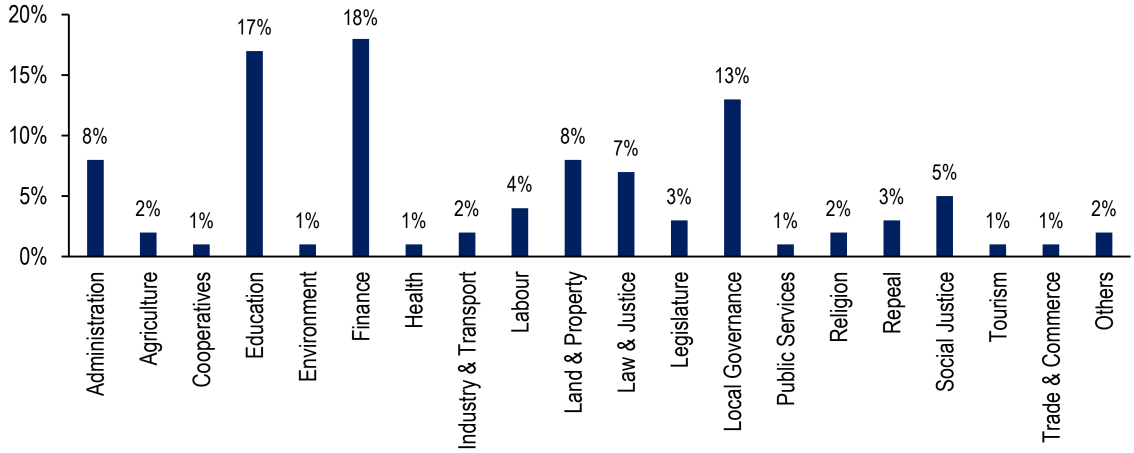

नोट: अदर्स (अन्य) में संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनजातीय मामले जैसी श्रेणियां शामिल हैं। फाइनांस में टैक्सेशन और पंजीकरण शामिल हैं। इसमें एप्रोप्रिएशन बिल शामिल नहीं है।

कानून एवं न्याय

पश्चिम बंगाल ने बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने वाला कानून बनाया

पश्चिम बंगाल ने अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) बिल, 2024 पारित किया। यह महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले विभिन्न अपराधों की सजा बढ़ाने के लिए कई केंद्रीय कानूनों में संशोधन करता है। महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। एसिड अटैक के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह उन मामलों में मृत्युदंड को अनिवार्य करता है जहां बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह हमेशा के लिए निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। बिल में मामलों की जांच और निपटान में तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स और विशेष अदालतें स्थापित करने का भी प्रावधान है। ऐसे अपराधों की जांच पूरी करने की समय सीमा दो महीने से घटाकर 21 दिन कर दी गई है।

उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बिल पारित किया

यह बिल विवाह और तलाक से संबंधित सभी व्यक्तिगत कानूनों को निरस्त करता है, और उत्तराधिकार का एक समान तरीका निर्धारित करता है। बिल में कहा गया है कि सभी लिव-इन संबंधों को रेगुलेट किया जाना चाहिए और अगर कोई पार्टनर 21 वर्ष से कम आयु का है तो माता-पिता के साथ विवरण साझा किया जाना चाहिए। लिव-इन पार्टनर के बच्चों को वैध माना जाएगा, और लिव-इन पार्टनर द्वारा परित्यक्त महिला भरण-पोषण का दावा कर सकती है। यह बिल उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो राज्य से बाहर रहते हैं। लेकिन यह बिल अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है।

कर्नाटक ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बिल पारित किया

कर्नाटक ने एक कानून में संशोधन किया है जिसके तहत जानबूझकर मेडिकल प्रोफेशनल्स का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसमें सोशल मीडिया के जरिए अपमान या उनके काम की अनाधिकृत रिकॉर्डिंग शामिल है। अपराधियों को तीन महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही हिंसा या बाधा उत्पन्न करने के शारीरिक कृत्यों के लिए कठोर दंड भी दिया जा सकता है। 2023 में झारखंड ने

चिकित्सा सेवाकर्मियों के साथ हिंसा और चिकित्सा सेवा संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए एक बिल पेश किया था।[17] 2024 में विधानसभा भंग होने पर यह बिल लैप्स हो गया।

महाराष्ट्र और बिहार ने गैरकानूनी संगठनों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानून पेश किए

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा बिल, 2024 का उद्देश्य सरकार को किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार देना है।[18] सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने या सरकारी प्रशासन में हस्तक्षेप करने जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने या उनका समर्थन करने वाले संगठन, गैरकानूनी संगठन कहलाते हैं। गैरकानूनी संगठनों के सदस्यों और समर्थकों को जुर्माना और कारावास की सजा भी दी जा सकती है। बिल को संयुक्त समिति के पास भेजा गया है।

बिहार ने एक बिल पारित किया जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को किसी क्षेत्र से असामाजिक तत्वों को हटाने का अधिकार दिया गया है। इस बिल के तहत महिलाओं को छेड़ने या भारतीय दंड संहिता या अनैतिक व्यापार (रोकथाम) एक्ट, 1956 जैसे कानूनों के तहत दंडनीय अपराध करने या करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्व कहलाते हैं। क्षेत्र छोड़ने का आदेश छह महीने के लिए वैध है, और इसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

बिहार और उत्तराखंड ने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिल पारित किए

बिहार ने बिहार सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन बिल, 2024 पारित किया। इस कानून के तहत अधिसूचित सीमा से अधिक लोगों की आवाजाही वाले प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म और अन्य सुरक्षा उपाय करने होंगे। वीडियो फुटेज को 30 दिनों तक स्टोर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी अथॉरिटी के साथ साझा किया जाएगा। बिल में एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। समिति के पास प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने, उनका आकलन करने और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों को लागू न करने पर उन्हें दंडित करने का अधिकार है।

उत्तराखंड के कानून में पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान है, जो नुकसान का निर्धारण करेगा तथा निजी या सार्वजनिक संपत्ति की क्षति के लिए जिम्मेदार लोगों से हर्जाना सुनिश्चित करेगा।

अनेक राज्यों ने अपने जेल कानूनों में संशोधन किए

कई राज्यों ने मॉडल जेल एक्ट, 2023 के अनुरूप जेलों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से जेल सुधार कानून पेश किए हैं। इन कानूनों में अपराध, जेंडर और दोषसिद्धि की स्थिति के आधार पर जेलों को अलग-अलग करने के लिए उन्हें फिर से डिजाइन करने के प्रावधान हैं। कानून में जेलों की विभिन्न श्रेणियां भी स्थापित की गई हैं और खुली जेलों की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त कैदियों के कल्याण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मिजोरम के कानूनों में युवा अपराधियों के लिए सुधारात्मक संस्थाएं स्थापित करने के साथ-साथ कार्य आधारित प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। झारखंड ने भी 2024 में इसी तरह का बिल पारित किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।[19] 2025 में इसकी जगह एक नया बिल पारित किया गया।[20]

हरियाणा ने अन्य कानूनों के साथ सुसंगति के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में संशोधन किया

2023 में संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) पारित की। बीएनएसएस के तहत, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं, और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। हरियाणा ने प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिए सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिए एक लाख रुपए करने के लिए इसमें संशोधन किया। यह मोटर वाहन एक्ट, 1988 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 जैसे अन्य कानूनों के साथ विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है।

कर्नाटक ने सिविल मामलों में मध्यस्थता को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया

कर्नाटक ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करते हुए यह अनिवार्य कर दिया कि सभी सिविल मुकदमे, सिवाय उन मुकदमों के जिनमें तत्काल अंतरिम राहत की आवश्यकता हो, मध्यस्थता के लिए भेजे जाएं। पहली सुनवाई चार सप्ताह के भीतर होनी चाहिए, और सभी दलीलें पहली सुनवाई से दो वर्ष के भीतर क्लोज होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश ने गैरकानूनी धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सख्त दंड और नए अपराध पेश किए

उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिबंध एक्ट, 2021 बलपूर्वक, गलत बयानी या प्रलोभन द्वारा किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। इस कानून को 2024 में संशोधित किया गया था, ताकि मौजूदा दंड को बढ़ाया जा सके और नए अपराध जोड़े जा सकें। संशोधित कानून में धमकी, बल, विवाह का वादा या तस्करी का उपयोग करके धर्म परिवर्तन करने के प्रयासों के लिए दंड बढ़ाया गया है। गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के संबंध में विदेशी या अवैध संस्थानों से धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी दंडित किया जाएगा। संशोधन में इस बात का दायरा भी बढ़ाया गया है कि कौन गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है। पहले, केवल संबंधित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कर सकता था; अब, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

हरियाणा ने शवों के सम्मानजनक निपटान पर कानून बनाया

हरियाणा ने शवों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने के लिए एक बिल पारित किया। इसमें विरोध प्रदर्शन के लिए शवों के इस्तेमाल को अपराध माना गया है। इसमें छह महीने से लेकर पांच वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। इस बिल को बाद में वापस ले लिया गया और 2025 में इसकी जगह दूसरा बिल पारित किया गया।[21] राजस्थान ने 2023 में इसी तरह का बिल पारित किया था।[22]

गुजरात ने काला जादू करने पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया

गुजरात ने मानव बलि, अघोरी पद्धतियों और काले जादू को रोकने और खत्म करने के लिए एक बिल पारित किया। इन अपराधों के लिए सात वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में दोषी व्यक्ति का नाम, निवास और अपराध का विवरण स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का प्रावधान भी शामिल है। असम ने बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए जादुई, गैर-वैज्ञानिक उपचार पद्धतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पारित किया।

सामाजिक न्याय

कई राज्यों ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को आरक्षण प्रदान करने के लिए बिल पारित किए

महाराष्ट्र ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए एक कानून बनाया। कानून के तहत, सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% सीटें एसईबीसी के लिए आरक्षित होंगी।

हरियाणा ने पिछड़े वर्गों के लिए शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने वाले तीन बिल पारित किए। छत्तीसगढ़ ने नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटें आरक्षित करने वाला बिल पारित किए। उत्तराखंड ने एक डेडिकेटेड आयोग बनाया जोकि राज्य सरकार को नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण का सुझाव देगा।

कर्नाटक ने एक संशोधन पारित किया। इसमें राज्य सिविल सेवाओं या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए श्रमशक्ति की आपूर्ति करने वाली एजेंसियां को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले।

तमिलनाडु ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में कल्याण व्यय का आवंटन अनिवार्य किया

तमिलनाडु ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में कल्याण व्यय निर्धारित करने के लिए एक बिल पारित किया है। इसमें खर्च न होने वाली शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए नहीं रखा जा सकता। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य परिषद और एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई

है जोकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के कार्यान्वयन की तैयारी और देखरेख के लिए जिम्मेदार होगी।

राज्यों ने महिला अधिकार संबंधी कानूनों में संशोधन किया

तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण) एक्ट, 1961 अविवाहित वयस्क बेटियों और पोतियों को उनके पुरुष समकक्षों से अलग मानता था, जिससे उनके अधिकतम सीमा तक व्यक्तिगत भूमि रखने के अधिकार सीमित हो गए थे। संशोधन इस भेद को हटाता है।

हिमाचल प्रदेश ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। बिल में भारतीय ईसाई विवाह एक्ट, 1872, पारसी विवाह और तलाक एक्ट, 1936, विशेष विवाह एक्ट, 1954 और हिंदू विवाह एक्ट, 1955 में निर्धारित विवाह आयु सीमा में संशोधन किया गया है ताकि एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

राज्यों में सशस्त्र बल कर्मियों के माता पिता और राज्य आंदोलनकारियों की सहायता के लिए कानून पारित

पंजाब ने पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार एक्ट, 1948 में संशोधन किया है ताकि 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले व्यक्तियों के माता-पिता को वित्तीय अनुदान 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जा सके। उत्तराखंड ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का हिस्सा रहे चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए उत्तराखंड राज्य सेवाओं में 10% आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया।

दो राज्यों ने कानूनों में भेदभावपूर्ण भाषा को हटाने के लिए संशोधन पारित किए

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने भेदभावपूर्ण शब्दों "मूक बधिर" और "कोढ़ी" को हटाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कानूनों में संशोधन किया। 2022 और 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सलाह दी थी कि राज्यों को अपने कानूनों में कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव करने वाली भाषा और प्रावधानों को हटाना चाहिए।

भूमि

राज्यों ने भूस्वामित्व के अधिकार और लैंड सीलिंग से संबंधित कानूनों में संशोधन किए

आंध्र प्रदेश निर्दिष्ट भूमि (हस्तांतरण निषेध) एक्ट, 1977 के तहत सरकार किसी भूमिहीन या बेघर गरीब व्यक्ति को कृषि या मकान के लिए भूमि आवंटित कर सकती है। कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि मकान के लिए भूमि का लाभार्थी 10 वर्ष बाद उस भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। उत्तर प्रदेश ने नजूल भूमि को निजी स्वामित्व वाली भूमि में बदलने पर रोक लगाने वाला बिल पारित किया। नजूल भूमि का मतलब राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या उसके अधीन भूमि से है।

तेलंगाना ने एक कानून में बदलाव करके यह प्रावधान किया है कि सरकार सभी गांवों में भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार करेगी और समय-समय पर इसे अपडेट करेगी। नए कानून के अनुसार, यह रिकॉर्ड भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में रखा जाएगा, जबकि पहले रिकॉर्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए जाते थे। प्रत्येक भूस्वामी को एक टाइटिल डीड भी जारी की जाएगी और भूमि के प्रत्येक टुकड़े को एक पहचान संख्या दी जाएगी।

असम ने लैंड सीलिंग को रेगुलेट करने वाले अपने कानून में संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि चाय की खेती और संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के मालिक या किरायेदार इस भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लैंड सीलिंग एक्ट में धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों को भूमि सीलिंग की शर्तों से छूट मिली हुई है। हालांकि यह छूट केवल तभी लागू होगी जब इन संगठनों द्वारा भूमि हस्तांतरित नहीं की गई हो। 2024 में एक्ट में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि 30 एकड़ तक भूमि हस्तांतरित की जा सकती है।

राज्यों ने भूमि हड़पने और भूमि पर अनाधिकृत कब्जे से संबंधित बिल पारित किए

आंध्र प्रदेश ने 1982 के कानून में बदलाव किए ताकि जमीन हड़पना पूरे राज्य में गैरकानूनी माना जाए, न कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में। नए कानून में जमीन हड़पने की सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष किया गया है। साथ ही ऐसा करने पर संपत्ति की मार्केट वैल्यू तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

असम के एक कानून में संशोधन करके राज्य सरकार को यह अनुमति दी गई है कि वह किसी भी प्रतिष्ठित विरासत संस्थान के पांच किलोमीटर दायरे वाले क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। प्रतिष्ठित विरासत संस्थान पुरातात्विक या ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतें या कलाकृतियां होती हैं जो राज्य के सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार को दर्शाती हैं और कम से कम 250 वर्ष पुरानी हैं। यह कानून जिला आयुक्त को यह अधिकार देता है कि वह संरक्षित क्षेत्रों से अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल कर सकता है। कानून आम लोगों को इन क्षेत्रों में भूमि कब्जाने करने से भी रोकता है जब तक कि वे तीन पीढ़ियों से उस भूमि पर निवास न कर रहे हों।

कई राज्यों ने किरायेदारी और भूमि पट्टे से संबंधित कानून बनाए

गोवा ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जमीन के मालिकों के लिए किराएदारों का विवरण जमा करना, उसे सत्यापित और मेनटेन करना जरूरी है। गोवा ने एक कानून में संशोधन किया है ताकि मकान मालिकों को किराएदार को पट्टे पर दी गई संपत्ति पर फिर से कब्जा करने की अनुमति दी जा सके, अगर यह उनके निवास, किसी संस्थागत उद्देश्य या वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग के लिए जरूरी हो। 1968 के कानून में मकान मालिक को उचित किराए से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने पर भी दंड का प्रावधान है। 2024 के संशोधन में इस अपराध के लिए सजा के रूप में कारावास को हटा दिया गया है और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।

बिहार ने सरकारी परिसर में रहने वाले लोगों से किराया वसूलने के लिए अपने कानून में संशोधन किया है। इस संशोधन में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा बढ़ा दी गई है। यह उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके वारिसों या कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की भी अनुमति देता है, जिसके खिलाफ बकाया किराया निर्धारित करने की कार्यवाही चल रही है।

आंध्र प्रदेश ने भूमि स्वामित्व से संबंधित कानून को निरस्त किया

2022 में आंध्र प्रदेश ने एक टाइटिल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से सभी अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड बनाने और उन्हें मेनटेन करने के लिए एक कानून बनाया था। 2024 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, कुछ चिंताओं के बाद कानून को निरस्त कर दिया गया था। इनमें सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हटाना, टाइटिल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के फैसलों को केवल उच्च न्यायालय में अपील करने की आवश्यकता और उन अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार सौंपने जैसी चिंताएं शामिल थीं।

शिक्षा

हरियाणा ने निजी कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने वाला बिल पारित किया

कानून के तहत सभी निजी कोचिंग संस्थानों को जिला स्तरीय रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकृत होना आवश्यक है। कोचिंग सेंटरों को कोचिंग से संबंधित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने या गलत जानकारी देने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

बिहार ने राज्य के मदरसा और संस्कृत शिक्षा बोर्ड को पुनर्गठित करने के लिए कानून बनाए

बिहार में राज्य स्तरीय मदरसा शिक्षा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भंग करने के लिए दो बिल पारित किए गए। उनके भंग होने के बाद राज्य सरकार उनके पुनर्गठन के उपायों का सुझाव देने के लिए समितियों का गठन करेगी। समितियां यह सुनिश्चित करने के लिए भी सुझाव देंगी कि मदरसा शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप हो और उसमें विज्ञान, ह्यूमैनिटीज़ और व्यावसायिक विषयों जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया जाए। इनके भंग होने के तीन महीने के भीतर नए बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

बिहार ने राज्य विश्वविद्यालयों के तहत कॉलेजों में इंटरमीडिएट शिक्षा को समाप्त करने के लिए एक बिल भी पारित किया। अप्रैल 2024 से यह केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ही पढ़ाई जाएगी।

असम ने असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्च शिक्षा परिषद को मिलाकर असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड बिल, 2024 पारित किया।

मध्य प्रदेश निजी स्कूलों की फीस को रेगुलेट करेगा

मध्य प्रदेश ने राज्य में निजी स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए एक कानून पारित किया है। इस कानून में फीस बढ़ाने के कारणों की सूची दी गई है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या और प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता।

हरियाणा में गेस्ट लेक्चरर्स को नौकरी की सुरक्षा और रिटायरमेंट लाभ मिलेगा

हरियाणा ने सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर्स और एक्सटेंशन लेक्चरर्स तथा सरकारी तकनीकी शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर्स के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो बिल पारित किए। पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र गेस्ट लेक्चरर्स रिटायरमेंट की आयु तक काम जारी रख सकेंगे। उन्हें स्वास्थ्य बीमा और ग्रैच्युटी जैसे लाभ मिलेंगे।

कई राज्यों ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल पारित किए

असम में पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तेलंगाना ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल पारित किया। राज्य ने खेल शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी कानून पारित किया। पश्चिम बंगाल ने कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की।

कर्नाटक ने मुख्यमंत्री को चांसलर के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विश्वविद्यालय कानून में संशोधन किया। इससे पहले, यह पद राज्यपाल को दिया जाता था। 2022 में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका में संशोधन करने के लिए इसी तरह के बिल पारित किए। केरल ने दो बिल पारित किए थे। राज्य में पहले राज्यपाल पदेन चांसलर होते थे, लेकिन उसकी जगह यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार चांसलर की नियुक्ति करेगी।

वित्त

राज्यों ने खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए कानून पेश किए

जुलाई 2024 में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगा सकते हैं।[23] इस फैसले के बाद झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु ने ऐसे कर लगाने के लिए कानून पेश किए। खनिज अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खनन पट्टाधारकों के पास कुछ खनिजों की खोज और निकासी के लिए होते हैं। खनिज युक्त भूमि को ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें खनिज होता है और जो खनन पट्टे के अंतर्गत आती है। झारखंड और तमिलनाडु द्वारा लाए गए कानून खनिज युक्त भूमि पर कर लगाते हैं, जबकि कर्नाटक द्वारा पेश किए गए कानून में खनिज युक्त भूमि और खनिज अधिकारों, दोनों पर कर लगाने का प्रस्ताव है।

झारखंड का कानून निर्दिष्ट करता है कि सेस से मिलने वाली आय का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा में सुधार और सड़क, पेयजल एवं ग्रामीण आवास जैसे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया जाएगा। कर्नाटक का कानून नीलामी या गैर-नीलामी के माध्यम से दिए गए खनिज अधिकारों पर अलग-अलग कर दरों को निर्दिष्ट करता है। कर्नाटक में कानून प्रस्तावित करता है कि खनिज युक्त भूमि और खनिज अधिकारों पर कर क्रमशः अप्रैल 2005 और जनवरी 2015 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। मार्च 2025 में कर्नाटक के राज्यपाल ने इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख लिया था।

राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिए अपने जीएसटी कानूनों में संशोधन किया

2024 में कई राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के लिए अपने माल और सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में संशोधन किया। संशोधनों में ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी लगाने का प्रावधान है। ये बदलाव जीएसटी परिषद के सुझावों के अनुरूप हैं।

तमिलनाडु ने मनोरंजन कर बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन किया

तमिलनाडु स्थानीय अथॉरिटी मनोरंजन कर (संशोधन) बिल, 2024 में शैक्षणिक संस्थानों सहित किसी भी संस्थान द्वारा आयोजित संगीत समारोहों, नाटकों, शो या अन्य कार्यक्रमों पर 10% कर लगाने का प्रावधान किया गया है।

राज्यों ने एफआरबीएम और आकस्मिकता निधि कानूनों में संशोधन किया

मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानूनों में संशोधन किया। मेघालय और पश्चिम बंगाल द्वारा किए गए संशोधनों ने 2023-24 में अपने राजकोषीय घाटे की सीमा को जीएसडीपी के 3.5% पर निर्दिष्ट किया, जबकि मणिपुर ने 2023-24 और 2024-25 दोनों के लिए समान सीमा निर्दिष्ट की। इसमें बिजली क्षेत्र सुधारों से जुड़े 0.5% की अतिरिक्त उधारी शामिल है। तमिलनाडु ने राजस्व घाटे को समाप्त करने की समय सीमा को 2025-26 से बदलकर 2026-27 करने और 31 मार्च, 2026 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% तक कम करने के लिए अपने एफआरबीएम कानून में संशोधन किया।

2024 में मणिपुर ने राज्य के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि के साथ आकस्मिकता निधि बनाने के लिए एक कानून बनाया। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना है। मेघालय ने 31 मार्च, 2024 तक अस्थायी रूप से अपनी आकस्मिकता निधि को 505 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,505 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि तमिलनाडु ने इसे 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया।

मिजोरम ने सरकारी गारंटी पर कानून में संशोधन किया

मिजोरम ने सरकारी गारंटी एक्ट, 2011 की अधिकतम सीमा में संशोधन किया, ताकि सरकार को व्यक्तियों, निजी संस्थानों या निजी कंपनियों को ऋण के लिए गारंटी देने की अनुमति मिल सके।

सरकारी प्रशासन

राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनाव और अयोग्यता संबंधी कानूनों में संशोधन किया

नागालैंड ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में दलबदल को रोकने के लिए एक कानून पारित किया। यूएलबी की परिषद के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि वे बिना पूर्व अनुमति के अपने राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान करते हैं या मतदान से दूर रहते हैं। अयोग्यता के सवालों का फैसला यूएलबी के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड ने दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायतों और यूएलबी, दोनों में चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के मानदंड को निरस्त कर दिया।

बिहार ने अपने नगर पालिका एक्ट, 2007 में संशोधन किया। संशोधन मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया को हटाता है। यह संपत्ति कर निर्धारण विवादों के लिए अपील प्रक्रिया में भी संशोधन करता है, जिला न्यायाधीश से अधिकार को संभागीय आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार नगरपालिका से राज्य सरकार को हस्तांतरित किया गया है।

झारखंड और पंजाब ने अग्नि सुरक्षा बढ़ाने के लिए कानून बनाए

झारखंड ने राज्य में अग्निशमन सेवा स्थापित करने के लिए झारखंड अग्निशमन सेवा बिल, 2024 पारित किया। बिल में इमारतों के निरीक्षण, अग्नि प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और खतरनाक परिसरों को सील करने का प्रावधान है। बिल में नगर पालिकाओं को अग्नि कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा बिल, 2024 को पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की स्थापना के लिए पारित किया गया। कानून में अग्नि सुरक्षा के संबंध में भवन और पंडाल मालिकों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, अग्नि कर लगाने का प्रावधान है और अग्नि प्रमाणपत्रों की वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है।

कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने बोरवेल की सुरक्षा को रेगुलेट करने वाले कानून बनाए

कर्नाटक भूजल (संशोधन) एक्ट, 2024 का उद्देश्य खुले ट्यूबवेल और बोरवेल के आसपास दुर्घटनाओं को कम करना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाना है। यह भूमि मालिकों, ड्रिलिंग एजेंसियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को बोरवेल को ढंकने और खुले या उपयोग न होने वाले कुओं को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए बाध्य करता है। स्थानीय अधिकारियों को इन कुओं की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वे ठीक से ढंके हुए हैं।

मध्य प्रदेश ने खुले बोरवेल या ट्यूबवेल से होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बिल पारित किया है। बिल में बोरवेल या ट्यूबवेल खोदने से पहले ड्रिलिंग एजेंसियों को परमिट लेना अनिवार्य किया गया है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भूस्वामियों और ड्रिलिंग एजेंसियों को अधूरे या उपयोग न होने वाले बोरवेल्स को ढंकना आवश्यक है।

शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कानूनों में संशोधन

तमिलनाडु ने एक बिल पारित किया जिसमें पंचायतों को अलग-अलग कचरा जमा करने, उनके परिवहन और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। घरों को भी ठोस कचरे को अलग करना होगा। आंध्र प्रदेश में नगरपालिकाओं को ठोस कचरा संग्रह के लिए यूजर फीस वसूलने की अनुमति देने वाला प्रावधान हटा दिया गया है।

केरल ने केरल नगर पालिका (संशोधन) बिल, 2024 और केरल पंचायत राज (संशोधन) बिल, 2024 पारित किया। दोनों कानूनों में कचरा संग्रह और प्रबंधन के लिए यूजर फीस लगाने का प्रावधान है। कचरे को अलग-अलग न करने, कूड़ा-कचरा फैलाने, गंदे पानी या कचरे को जलाशयों में छोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना नई स्थापित कचरा प्रबंधन निधि में जमा किया जाएगा।

कर्नाटक ने साइन बोर्ड्स पर कन्नड़ भाषा को प्राथमिकता देने वाला बिल पारित किया

कर्नाटक ने एक बिल पारित किया है, जिसके अनुसार नेम बोर्ड पर कम से कम 60% टेक्स्ट कन्नड़ में होने चाहिए, तथा वह भी, बोर्ड के ऊपरी आधे भाग में।

मणिपुर ने स्थानों के नामों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक बिल पारित किया

मणिपुर ने स्थानों के नामों के सही उपयोग को लागू करने, तथा स्थानों के नामकरण और स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक बिल पारित किया। स्थानों के नामों का दुरुपयोग करने पर तीन वर्ष तक की कैद और दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

असम ने विभिन्न स्वायत्त परिषद कानूनों में संशोधन किया

असम ने ग्राम परिषदों के प्रावधानों को हटाने के लिए छह कानूनों में संशोधन किया। इन परिषदों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लिए विकास योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना था। हालांकि राज्य में पहले से ही एक पंचायती राज प्रणाली है जो ऐसे ही काम करती है। इसीलिए एक समानांतर संरचना को अनावश्यक माना गया।

अनेक राज्यों ने विकास अथॉरिटीज़ को स्थापित करने वाले कानूनों का निर्माण किया

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने विकास अथॉरिटी बनाने के लिए बिल पारित किए। हिसार (हरियाणा), बसवन बागेवाड़ी और बेंगलुरु (कर्नाटक) तथा उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र की अथॉरिटीज़ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते/होती हैं। ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, जिसे 2024 में पेश किया गया और 2025 में पारित किया गया, कई नगर निगम बनाता है, जिनकी देखरेख एक अथॉरिटी द्वारा की जाएगी।

पर्यावरण और जल

जलाशयों और भूजल के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राज्यों ने बिल पारित किए

असम ने निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों में आने वाले जलाशयों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया। कानून संरक्षण उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार जिला और राज्य स्तरीय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की स्थापना करता है। प्रत्येक व्यक्ति को जलाशय को संरक्षित करना चाहिए और पूर्व अनुमति के बिना उसके क्षेत्र, प्रकृति या उपयोग में बदलाव नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो

सकते हैं। मिजोरम जल संसाधन (प्रबंधन और रेगुलेशन) एक्ट, 2024 एक परिषद (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में) और जल संसाधनों (भूजल सहित) के प्रबंधन के लिए विभिन्न अन्य निकायों का गठन करता है।

गोवा ने एक कानून में संशोधन करके यह अनिवार्य कर दिया है कि बल्क वॉटर यूजर्स सीवेज को छोड़ने से पहले उसका उपचार करें, ऐसा न करने पर प्रति क्यूबिक मीटर पानी पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बल्क वॉटर यूजर्स ऐसे इस्टैबलिशमेंट्स होते हैं जो प्रतिदिन 3,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी की खपत करते हैं।

गोवा ने विभिन्न अपराधों पर दंड बढ़ाने के लिए अपने भूजल रेगुलेशन एक्ट, 2002 में संशोधन किया है। खुले कुओं में अवैध खुदाई या भूजल परिवहन संबंधी पहले अपराध पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और उसके बाद के अपराधों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। उपचारित या अनुपचारित पानी से भूजल को प्रदूषित करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।

राजस्थान ने औपचारिक अनुमति प्रणाली के माध्यम से भूजल निकासी को रेगुलेट करने के लिए भूजल (संरक्षण और प्रबंधन) अथॉरिटी बिल, 2024 पेश किया।[24] यह जिला-स्तरीय समितियों को संरक्षण योजनाएं तैयार करने का अधिकार देता है और अनाधिकृत गतिविधियों को दंडित करता है, जिसमें पहली बार अपराध करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर कठोर दंड शामिल है। बिल को एक समिति को भेजा गया है।

महाराष्ट्र ने अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के लिए जुर्माना बढ़ाया

महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र पेड़ कटाई (रेगुलेशन) एक्ट, 1964 में संशोधन किया जिसके तहत बिना अनुमति के पेड़ काटने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है।

गोवा के एक कानून के अनुसार, हर वर्ष 10 जून से पहले बीच शैक्स को हटाना अनिवार्य

गोवा ने सार्वजनिक समुद्र तटों पर अस्थायी और मौसमी शैक्स (झोपड़ियों) के निर्माण को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पारित किया है। शैक्स को ऑपरेट करने के लिए शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों, पर्यटन निदेशक, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय और स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। संचालकों को हर वर्ष 10 जून तक समुद्र तट पर बने शैक्स को हटाना होगा और समुद्र तट के स्वरूप को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना होगा। अगर शैक्स को नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित स्थानीय अथॉरिटी उसे हटाएगी और उसे हटाने की कीमत आवंटी से वसूली जाएगी। इसके अलावा, शैक्स को हटाने में देरी करने पर 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रशासन और कार्मिक

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों ने कानून बनाए

कई राज्यों ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और लीकेज को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। असम और मणिपुर ने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए हैं। ये कानून परीक्षार्थी, सुपरवाइजर, परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त प्रशासन, परीक्षा आयोजित करने वाले प्रबंधन और प्रक्रिया में शामिल तीसरे पक्ष के लिए अलग-अलग दंड निर्दिष्ट करते हैं। निम्नलिखित तालिका राज्यों में अपराध और दंड को दर्शाती है।

तालिका 3: विभिन्न राज्य कानूनों के तहत विभिन्न दंड

राज्य	प्रावधान
अरुणाचल प्रदेश	▪ परीक्षार्थियों को पांच वर्ष का कारावास, एक करोड़ रुपए का जुर्माना तथा भविष्य में परीक्षा देने पर प्रतिबंध लग सकता है। ▪ इसमें प्रबंधन के शामिल होने पर उसे 10 वर्ष की जेल और एक करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ▪ संगठित अपराध से जुड़ी संस्थाओं की संपत्ति जब्त की जा सकती है।
असम	▪ परीक्षार्थियों को तीन वर्ष तक का कारावास, एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दो वर्ष तक परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ▪ धोखाधड़ी की साजिश/प्रयास करने पर 10 वर्ष तक की कैद और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। ▪ संगठित अपराध से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जा सकती है।

बिहार, महाराष्ट्र, ओड़िशा	▪ परीक्षार्थियों को पांच वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ▪ प्रबंधन को 10 वर्ष तक का कारावास और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ▪ संगठित अपराध के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, एक करोड़ रुपए का जुर्माना और संपत्ति कुर्क हो सकती है।
उत्तर प्रदेश	▪ नकल करने पर एक साल के लिए परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। ▪ सॉल्वर गिरोह को 14 वर्ष साल तक की कैद, 25 लाख रुपए का जुर्माना और दोबारा अपराध करने पर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। ▪ धमकी या बल का उपयोग करके परीक्षा में बाधा डालने पर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है।

स्रोत: संबंधित कानून; पीआरएस।

अनेक राज्यों ने लोकायुक्त कानूनों में संशोधन किए

लोकायुक्त एक राज्य स्तरीय निकाय है जो लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों की जांच करता है। अरुणाचल प्रदेश ने लोकायुक्त निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा हटा दी है। मिजोरम ने अलग-अलग जांच और अभियोजन शाखाएं स्थापित की हैं।

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) एक्ट, 2012 ने लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्तों का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष कर दिया है। इस एक्ट को 2024 में संशोधित करके कार्यकाल को घटाकर पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, कर दिया गया।

कर्नाटक ने मंदिर प्रशासन की स्थापना के लिए चार बिल पारित किए

कर्नाटक ने मंदिरों के विकास हेतु मंदिर प्राधिकरणों की स्थापना के लिए बिल पारित किया। श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि अन्य प्राधिकरणों की अध्यक्षता हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के प्रभारी मंत्री करेंगे।

कृषि

राज्यों ने अपने कृषि उत्पाद मार्केटिंग कानूनों में संशोधन किए

छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु ने अपने कृषि उत्पाद मार्केटिंग कानूनों में संशोधन किया।

छत्तीसगढ़ ने किसानों के कल्याण पर मंडी बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को उसकी आय के 15% से घटाकर 10% कर दिया। बोर्ड अतिरिक्त किसान कल्याण शुल्क भी वसूलेगा। संशोधन में अन्य राज्यों में मंडी बोर्ड या समितियों के साथ पंजीकृत व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्ताओं को राज्य मंडी समिति के साथ अतिरिक्त पंजीकरण की आवश्यकता के बिना ई-एनएएम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज का व्यापार करने की अनुमति दी गई है। कर्नाटक ने आर्थिक रूप से कमजोर कृषि उपज मंडी समितियों को विकसित करने के लिए एक कोष स्थापित करने हेतु कानून में संशोधन किया।

पंजाब के कानून ने उन बाजार समितियों के पुनर्गठन की समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की है, जिन्हें सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। तमिलनाडु ने बाजार समितियों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकारियों के अधिकतम कार्यकाल को 13 वर्ष और 6 महीने से बढ़ाकर 14 वर्ष और 6 महीने कर दिया है, ताकि बाजार समितियों में सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिक समय मिल सके।

राज्यों ने कृषि भूमि उपयोग और पट्टे से संबंधित कानूनों में संशोधन किया

असम कृषि भूमि एक्ट, 2015 जिला अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोगों के लिए पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति देता है। 2024 में इस कानून में संशोधन करके यह जोड़ा गया कि पुनर्वर्गीकृत गैर-कृषि भूमि जिसका उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था, उसे वापस कृषि या गैर-कृषि भूमि के किसी अन्य वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। असम ने एक अन्य कानून में भी संशोधन किया ताकि राज्य सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को शहर की भूमि के रूप में अधिसूचित कर सके जहां पर्याप्त कृषि गतिविधियां बंद हो गई हैं। कर्नाटक ने दो एकड़ तक की कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित किए बिना उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया, जहां नए उद्योगों की स्थापना की जा सके।

हरियाणा ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए लिखित पट्टा समझौते को अनिवार्य किया गया है। यह कानून पट्टेदार को फसल ऋण प्राप्त करने और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे या राहत निधि का दावा करने की भी अनुमति देता है।

केरल ने बोवाइन ब्रीडिंग की पद्धतियों को रेगुलेट करने के लिए बिल पारित किया

केरल बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट, 2024 बोवाइन सीमन के उत्पादन और वितरण, कृत्रिम गर्भाधान और सहायक प्रजनन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को रेगुलेट करता है। यह कानून राज्य की बोवाइन ब्रीडिंग नीति को लागू करने, ब्रीडिंग बुल्स को प्रमाणित करने और सीमन बैंकों और स्टेशनों को पंजीकृत करने के लिए एक अथॉरिटी की स्थापना करता है।

स्वास्थ्य

तीन राज्यों ने हुक्का बार को प्रतिबंधित करने वाले बिल पारित किए

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का रेगुलेशन) एक्ट, 2003 एक केंद्रीय कानून है जो तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को रेगुलेट करता है। 2024 में हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना ने हुक्का बार या रेस्तरां या बार में हुक्का परोसने पर रोक लगाने के लिए इस कानून में संशोधन किया।

हरियाणा का कानून निकोटीन और टार कंटेंट के बारे में चेतावनी देने में विफल रहने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए केंद्रीय कानून में भी संशोधन करता है। संशोधन केंद्रीय कानून के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाता है।

तालिका 4: हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना में हुक्का बार चलाने पर दंड

राज्य	दंड	अपराध की प्रकृति
हरियाणा	एक से तीन वर्ष तक का कारावास तथा एक लाख से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना	संज्ञेय और गैर जमानती
कर्नाटक	एक से तीन वर्ष तक का कारावास और 50,000 से एक लाख रुपए तक का जुर्माना	संज्ञेय और जमानती (केंद्रीय कानून के अनुसार)
तेलंगाना	एक से सात वर्ष तक का कारावास और 50,000 से दो लाख रुपए तक का जुर्माना	संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य

स्रोत: विभिन्न राज्यों के कानून; पीआरएस।

कर्नाटक के संशोधन में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए व्यक्ति की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इसमें ऐसे उत्पादों की खुली या सिंगल स्टिक्स में बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

श्रम

अनेक राज्यों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए बिल पारित किए

कर्नाटक ने मोटर परिवहन और अन्य संबद्ध श्रमिकों, तथा सिनेमा और सांस्कृतिक कलाकारों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो कानून बनाए। दोनों कानूनों के तहत श्रमिकों को संबंधित बोर्डों में पंजीकरण कराना होगा और कल्याण राशि का पात्र होने के लिए संबंधित निधियों में योगदान देना होगा।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने वकीलों और उनके क्लर्कों द्वारा मेमो ऑफ अपीयरेंस पर चिपकाए जाने वाले स्टाम्प की राशि बढ़ा दी है। यह राशि वकीलों और उनके क्लर्कों के कल्याण कोष में जमा की जाएगी। इन निधियों का उपयोग वकीलों या क्लर्कों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाएं, बीमा और वित्तीय सहायता के लिए किया जाता है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अपने संबंधित श्रम कल्याण कोष में अंशदान की दर बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश ने अर्ध-कुशल श्रमिकों को भी कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि एक्ट, 1965 में संशोधन किया। इसके अतिरिक्त कानून के तहत कवर की जाने वाली मजदूरी सीमा 400 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए कर दी गई।

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने सरकारी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को रेगुलेट करने वाले बिल पारित किए

हरियाणा ने सरकारी संगठनों में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को, जिनकी आय 50,000 रुपए तक है और जिन्होंने अब तक कम से कम पांच वर्ष पूर्णकालिक सेवा की है, सेवानिवृत्ति तक सेवा जारी रखने की अनुमति देने के लिए एक बिल पारित किया है। ये कर्मचारी ग्रैच्युटी, स्वास्थ्य सेवा और मातृत्व लाभ जैसे अतिरिक्त लाभों के लिए भी पात्र

होंगे। हिमाचल प्रदेश का कानून सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को रेगुलेट करता है। इस कानून में नियमित कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के बीच अंतर किया गया है। वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन वृद्धि जैसे सेवा-संबंधी लाभ केवल नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को ही मिलेंगे।

कुछ राज्यों ने इस्टैबलिशमेंट्स और नियोक्ताओं के पंजीकरण और रेगुलेशन पर कानून बनाए

हरियाणा ने ट्रैवल एजेंटों को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पेश किया। बिल के तहत, ट्रैवल एजेंट में पासपोर्ट या वीज़ा के लिए आवेदन को प्रोसेस करने वाली फ़र्म या व्यक्ति, और पर्यटन, शिक्षा और धार्मिक प्रचार के लिए वीज़ा कंसेल्टेंसी देने वाली फ़र्म या व्यक्ति शामिल हैं। सभी ट्रैवल एजेंटों को पंजीकृत होना चाहिए या उन्हें सात वर्ष तक की कैद सहित पैनेल्टी चुकानी पड़ सकती है। बाद में बिल को वापस ले लिया गया, और नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को शामिल करने के बाद अप्रैल 2025 में एक नया बिल पारित किया गया।[25]

मणिपुर ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत नियोक्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, 1970; अंतर्राज्यीय माइग्रेंट वर्कमेन एक्ट, 1979; और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक एक्ट, 1966 जैसे कुछ कानूनों के तहत दिए गए पंजीकरण या लाइसेंस को रीन्यू करने से छूट दी गई है। नियोक्ता इसके बजाय सेल्फ-सर्टिफिकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश ने कारखानों और उद्योगों से संबंधित कानूनों में संशोधन किए

उत्तर प्रदेश ने कारखाना एक्ट, 1948 में संशोधन करके राज्य सरकार को अधिकतम स्वीकृत दैनिक कार्य घंटों को नौ से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अनुमति दी है। इन कार्य घंटों में आराम का अंतराल शामिल होगा, और यह एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे के अधीन होगा। संशोधन राज्य को बिना अंतराल वाले कार्य घंटों को पांच से छह घंटे तक बढ़ाने की भी अनुमति देता है। स्वीकृत अधिकतम ओवरटाइम घंटे एक तिमाही (जो कि 3 महीने है) में 75 से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिए गए।

विधान मंडल

कई राज्यों ने विधायकों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में संशोधन करने के लिए बिल पारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने एक बिल पारित किया है जो दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए व्यक्तियों को विधानसभा से पेंशन लेने से रोकता है। यह अयोग्य व्यक्तियों द्वारा पहले से प्राप्त पेंशन को वापस लेने की भी अनुमति देता है।

कर्नाटक ने कर्नाटक विधानमंडल (अयोग्यता निवारण) एक्ट, 1956 में संशोधन करके कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर रखा है। इन पदों में मुख्यमंत्री के सलाहकार और राजनीतिक सचिव तथा कुछ आयोगों के प्रमुख और सदस्य शामिल हैं।

मध्य प्रदेश ने तीन कानूनों में संशोधन करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मंत्रियों को अपने भत्तों पर आयकर का भुगतान स्वयं करने का आदेश दिया है। पहले इसका भुगतान उनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा किया जाता था।

स्रोत और कार्य पद्धति

स्रोत

यह रिपोर्ट 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें विधानमंडल और राज्य सरकारी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध दस्तावेजों से आंकड़ों को जमा किया गया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रत्येक विधानसभा सत्र के बुलेटिन (संचालित कार्य का सारांश) और कार्यवाही, (ii) विधानमंडल सत्रों के सिनॉप्सिस, जो आम तौर पर सत्र की समाप्ति के बाद प्रकाशित किए जाते हैं, (iii) सत्रों के आंकड़ों के साथ सांख्यिकीय विवरण, और (iv) राज्य के राजपत्र (गैजेट) के प्रकाशन। इसके अलावा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारियों और विधानमंडल सचिवालयों से सीधे संवाद के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का भी उपयोग करके आंकड़े जमा किए गए हैं। प्रत्येक आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से सत्यापित किया गया है।

कार्य पद्धति

'बैठक के दिन' को उन कैलेंडर दिनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है जब किसी सदन का सत्र होता है। अगर किसी सदन में एक दिन दो बैठकें होती हैं तो उसे एक बैठक के दिन के रूप में गिना गया है। रेखाचित्र 3 में जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है, वहां पहले के वर्षों के बैठकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे या उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी।

बजट सत्रों को ऐसे सत्रों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जब वार्षिक बजट पेश किया जाता है। आमतौर पर राज्यों में एक वर्ष में एक बजट सत्र होता है। हालांकि कुछ राज्यों ने एक सत्र में लेखानुदान (वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की स्वीकृति) और अगले सत्र में पूर्ण बजट पारित किया। इन राज्यों के लिए जिस सत्र में पूर्ण बजट पारित किया गया, उसे बजट सत्र माना गया है। हालांकि बजट पेश करने और चर्चा की तिथियां उपलब्ध थीं, लेकिन अधिकांश राज्यों के लिए चर्चा की अवधि की जानकारी नहीं मिल पाई।

विधानसभाओं की बैठकों के कुल समय की गणना, कुल बैठकों की अवधि को जोड़कर की गई है। बैठकों की अवधि की गणना दैनिक बुलेटिन, सदन की कार्यवाही के आधार पर की गई है या सांख्यिकीय विवरण से। बैठक की अवधि की गणना के लिए, अवकाश और स्थगन पर खर्च किए गए समय को उसमें शामिल नहीं किया गया है। बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए कुछ बैठक दिनों के लिए बैठकों की अवधि की गणना नहीं की जा सकी, क्योंकि बुलेटिन उपलब्ध ही नहीं थे। इस कमी को दूर करने के लिए पिछले सत्रों की औसत बैठक अवधि का उपयोग किया गया है।

पारित होने वाले बिल की कुल संख्या सत्र के रेज्यूमेज़ और बुलेटिन्स के जरिए निर्धारित की गई है। इसमें 2024 में विधानमंडलों में पारित होने वाले सभी बिल शामिल हैं। प्रत्येक बिल और एक्ट को तिथि अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है और इस क्रम को कमियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सभी राज्य अपने-अपने बिल और एक्ट की नंबरिंग अलग-अलग तरह से करते हैं। कुछ राज्यों के बिल और एक्ट की प्रतियां नहीं मिल पाई हैं। इस विश्लेषण में एप्रोप्रिएशन बिल्स और फाइनांस बिल्स पर विचार नहीं किया गया है।

बिल को पेश करने, उसे पारित करने और मंजूरी मिलने की तारीखों के आधार पर इस बात का विश्लेषण किया गया है कि किसी बिल को पारित करने में कितना समय लगा (रेखाचित्र 6) और राज्यपाल की मंजूरी मिलने में कितना समय लगा (रेखाचित्र 9)। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी मौजूद है, वहां बिल को पेश करने की तारीख वह है जब उसे पहले सदन में पेश किया गया। उसे पारित करने की तारीख वह है, जब बिल को दूसरे सदन में पारित किया गया। हालांकि द्विसदनीय विधायिका वाले छह राज्यों में से दो (बिहार और उत्तर प्रदेश) के लिए ऐसा नहीं किया जा सका।

किसी बिल को पेश करने और पारित होने के बीच का अंतराल इस बात को प्रदर्शित नहीं करता कि उस पर विधायी समीक्षा की गुणवत्ता क्या थी। इसे अन्य संकेतकों के जरिए मापा जा सकता है, जैसे सदन में बिल पर चर्चा में लगने वाला समय और बिल पर बहस का विवरण। हालांकि संसद से अलग, अधिकतर राज्य पूरी कार्यवाही या बिल पर बहस की विस्तृत सूचना प्रकाशित नहीं करते। केरल में सत्र के रेज्यूमेज़ में संशोधन प्रस्तावों की संख्या सहित बहस पर जानकारियां जारी की जाती हैं। लेकिन गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में इन

विवरणों को सदन की कार्यवाहियों से हटा दिया जाता है। इस रिपोर्ट में समीक्षा की गुणवत्ता को मापने की कोई कोशिश नहीं की गई है।

डेटा एकत्र करने और उनकी सत्यापन प्रक्रिया की मुख्य चुनौती यह है कि राज्य विधानमंडलों के डेटा प्रकाशित करने के तरीकों में बहुत विसंगतियां हैं। कुछ राज्य नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर बुलेटिन और सत्र विवरण अपलोड नहीं करते हैं। कुछ राज्यों ने नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (यह सभी विधानमंडलों के बारे में जानकारियां जमा करने की एक केंद्रीय पहल है) को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और इससे वे नियमित रूप से विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ अन्य राज्यों में इस परिवर्तन के कारण डेटा उपलब्धता में चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि कई मामलों में दस्तावेज गायब पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने आरटीआई के जरिए सूचना के अनुरोध पर कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषा में दस्तावेज उपलब्ध थे जिससे डेटा को एकत्र करने और उसे सत्यापित करने में कठिनाइयां बढ़ीं।

अनुलग्नक 1: 2024 में पारित बिल्स की सूची, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है

इस सूची में 2024 में अधिनियमित राज्य कानून दिए गए हैं। ये राज्य विधानसभाओं की वेबसाइट्स और राज्य के राजपत्रों में उपलब्ध हैं।

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
2. The Andhra Pradesh Advocates Clerks Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
3. The Andhra Pradesh (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalization of Staff Pattern and Pay Structure) (Amendment) Bill, 2024
4. The Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies (Amendment) Bill, 2024
5. The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Bill, 2024
6. The Andhra Pradesh Electricity Duty (Amendment) Bill, 2024
7. The Andhra Pradesh Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Bill, 2024
8. The Andhra Pradesh Land Titling Repeal Bill, 2024
9. The Dr. Y.S.R. University of Health Sciences (Amendment) Bill, 2024
10. The Andhra Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2024
11. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Amendment) Bill, 2024
12. The Andhra Pradesh Public Employment (Regulation of Age of Superannuation) (Amendment) Bill, 2024
13. The Dr. N.T.R. University of Health Sciences (Amendment) Bill, 2024
14. The Andhra Pradesh (Andhra Area) Ayurvedic and Homeopathic Medical Practitioners Registration (Amendment) Bill, 2024
15. The Andhra Pradesh Medical Practitioners Registration (Amendment) Bill, 2024
16. The Andhra Pradesh Electricity Duty (Second Amendment) Bill, 2024
17. The Andhra Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2024
18. The Andhra Pradesh Excise (Amendment) Bill, 2024
19. The Andhra Pradesh (Regulation of Trade in Indian Made Foreign Liquor, Foreign Liquor) (Amendment) Bill, 2024
20. The Andhra Pradesh Prohibition (Amendment) Bill, 2024
21. The Andhra Pradesh Municipal Laws (Second Amendment) Bill, 2024
22. The Andhra Pradesh Lokayukta (Amendment) Bill, 2024
23. The Andhra Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
24. The Andhra Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2024
25. The Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments (Amendment) Bill, 2024
26. The Andhra Pradesh Infrastructure (Transparency through Judicial Preview) (Repeal) Bill, 2024

अरुणाचल प्रदेश

1. The Arunachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Bill, 2024
2. The Arunachal Pradesh (Re-organisation of Districts) (Amendment) Bill, 2024
3. The Arunachal Pradesh (Land Settlement and Records) (Amendment) Bill, 2024
4. The Arunachal Pradesh Public Examination (Measures to Prevention Unfair Means in Recruitment) Bill, 2024
5. The Arunachal Pradesh Amending Bill, 2024
6. The Balipara/Tirap/ Sadiya Frontier Tract Jhum Land Regulation (Amendment) Bill, 2024
7. The Arunachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2024

असम

1. The Swahid Kanaklata Barua State University Bill, 2024
2. The Assam Municipal (Amendment) Bill, 2024
3. The Tiwa Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024
4. The Assam Healing (Prevention of Evil) Practices Bill, 2024
5. The Assam Village Defence Organisation (Amendment) Bill, 2024
6. The Thengal Kachari Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024
7. The Assam State School Education Board Bill, 2024
8. The Assam Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Bill, 2024
9. The Assam Tourism (Development and Registration) Bill, 2024
10. The Deori Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024
11. The Sonowal Kachari Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024
12. The Mising Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024
13. The Rabha Hasong Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024
14. The Kokrajhar University Bill, 2024
15. The Assam Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Vacancies in Services and Posts) (Amendment) Bill, 2024
16. The Assam Official Language (Amendment) Bill, 2024
17. The Assam (Temporarily Settled Areas) Tenancy (Amendment) Bill, 2024
18. The Assam Land and Revenue Regulation (Amendment) Bill, 2024
19. The Assam Repealing Bill, 2024
20. The Assam Veterinary and Fishery University Bill, 2024
21. The Assam Skill University (Amendment) Bill, 2024
22. The Matak Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024

23. The Moran Autonomous Council (Amendment) Bill, 2024
24. The Assam Urban Water Bodies (Preservation and Conservation) Bill, 2024
25. The Assam Right to Public Services (Amendment) Bill, 2024
26. The Assam Motor Vehicle Taxation (Amendment) Bill, 2024
27. The Assam Fixation of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2024
28. The Assam Compulsory Registration of Muslim Marriage and Divorces Bill, 2024
29. The Assam Agricultural Land (Regulation of Reclassification and Transfer for Non-Agricultural Purpose) (Amendment) Bill, 2024

बिहार

1. The Bihar Technical Service Commission (Amendment) Bill, 2024
2. The Bihar Control of Crimes Bill, 2024
3. The Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Bill, 2024
4. The Bihar Settlement of Taxation Disputes Bill, 2024
5. The Bihar Value Added Tax (Amendment) Bill, 2024
6. The Bihar State Child Labour Commission (Amendment) Bill, 2024
7. The Bihar Sanskrit Education Board (Amendment) Bill, 2024
8. The Bihar State Madarsa Education Board (Amendment) Bill, 2024
9. The Bihar State Minorities Commission (Amendment) Bill, 2024
10. The Bihar State Women Commission (Amendment) Bill, 2024
11. The Bihar Municipal (Amendment) Bill, 2024
12. The Bihar State University Service Commission (Amendment) Bill, 2024
13. The Bihar School Examination Board (Amendment) Bill, 2024
14. The Bihar Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024
15. The Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
16. The Bihar Lift and Escalators Bill, 2024
17. The Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024
18. The Vesting of Bettiah Raj Properties Bill, 2024
19. The Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction) (Amendment) Bill, 2024
20. The Bihar Sports University (Amendment) Bill, 2024

छत्तीसगढ़

1. The Chhattisgarh Civil Court (Amendment) Bill, 2024
2. The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
3. The Chhattisgarh Rajim Maghi Punni Fair (Amendment) Bill, 2024
4. The Chhattisgarh Agricultural Produce Market (Amendment) Bill, 2024
5. The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
6. The Chhattisgarh Legislative Assembly Member Salary, Allowance and Pension (Amendment) Bill, 2024
7. The Chhattisgarh Land Revenue (Amendment) Bill, 2024
8. The Chhattisgarh Municipal (Amendment) Bill, 2024
9. The Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Bill 2024
10. The Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
11. The Chhattisgarh Regularization of Unauthorized Development (Amendment) Bill, 2024

दिल्ली

1. The Delhi Goods & Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024

गोवा

1. The Goa Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
2. The Goa Land Use (Regulation) (Amendment) Bill, 2024
3. The Goa Buildings (Lease, Rent and Eviction) Control (Amendment) Bill, 2024
4. The Goa Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2024
5. The Goa Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill, 2024
6. The Goa Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
7. The Goa Value Added Tax (Amendment) Bill, 2024
8. The Goa Legislative Diploma No. 2070 dated 15-4-1961 (Amendment) Bill, 2024
9. The Goa Staff Selection Commission (Amendment) Bill, 2024
10. The Goa Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024
11. The Goa Irrigation (Amendment) Bill, 2024
12. The Goa Ground Water Regulation (Amendment) Bill, 2024
13. The Goa Court-Fees Bill, 2024
14. The Goa Succession, Special Notaries and Inventory Proceeding (Amendment) Bill, 2024
15. The Goa Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2024
16. The Indian Stamp (Goa Amendment) Bill, 2024
17. The Goa Escheats, Forfeiture and Bona Vacantia Bill, 2024
18. The Goa Erection of Shacks on Public Beaches (Regulation and Control) Bill, 2024
19. The Goa Staff Selection Commission (Second Amendment) Bill, 2024
20. The Goa (Verification of Tenants) Bill, 2024

21. The Goa Land Revenue Code (Amendment) Bill, 2024
22. The Goa Legislative Diploma No.2070 (Amendment) Bill, 2024

गुजरात

1. The Gujarat Tenancy and Agricultural Lands Laws (Amendment) Bill, 2024
2. The Gujarat University of Transplantation Sciences (Amendment) Bill, 2024
3. The Gujarat Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2024
4. The Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology (Amendment) Bill, 2024
5. The Gujarat Prohibition (Amendment) Bill, 2024
6. The Gujarat Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Bill, 2024
7. The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
8. The Gujarat Private Universities (Amendment) Bill, 2024

हरियाणा

1. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2024
2. The Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Haryana Amendment) Repeat Bill, 2024
3. The Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority Bill, 2024
4. The Hisar Metropolitan Development Authority Bill, 2024
5. The Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Bill, 2024
6. The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Amendment BIll, 2024
7. The Haryana State Sports Associations (Registration and Regulation) Bill, 2024
8. The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill, 2024
9. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024
10. The Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Bill, 2024
11. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2024
12. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2024
13. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2024
14. The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Bill, 2024
15. The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Bill, 2024
16. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
17. The Haryana Lease of Agricultural Land Bill, 2024
18. The Haryana Extension Lecturers and Guest Lecturers (Security of Service) Bill, 2024
19. The Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Bill, 2024

हिमाचल प्रदेश

1. The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2024
2. The Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
3. The Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Amendment Bill, 2024
4. The Eternal University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
5. The Shimla University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
6. The Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
7. The Abhilashi University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
8. The Baddi University of Emerging Sciences & Technology (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
9. The Bahra University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
10. Shri Sai University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
11. The Institute of Chartered Financial Analytics of India University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
12. The Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
13. The Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
14. The Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
15. The Shoolini Biotechnology and Management Sciences University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
16. The Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
17. IEC (Indian Education Centre) University Establishment and Regulation Amendment Bill, 2024
18. The Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
19. The Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Amendment Bill, 2024
20. The Himachal Pradesh Excise (Amendment) Bill, 2024
21. The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2024
22. The Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill, 2024
23. The Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carriage by Road) Amendment Bill, 2024
24. The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2024
25. The Himachal Pradesh Government Employees Recruitment and Conditions Bill, 2024
26. The Himachal Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2024

झारखंड

1. The Jharkhand Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal Bill, 2024
2. The Jharkhand State University (Amendment) Bill, 2024
3. The Jharkhand Protection of Depositors' Interests (in Financial Establishments) (Repeal) Bill, 2024

4. The Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
5. The Jharkhand Mineral Holding Land Cess Bill, 2024
6. The Jharkhand Fire Services Bill, 2024
7. The Jharkhand Private University Bill, 2024

कर्नाटक

1. The Kannada Language Comprehensive Development (Amendment) Bill, 2024
2. The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2024
3. The Karnataka Motor Transport and Other Allied Workers Social Security and Welfare Bill, 2024
4. The Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike (Amendment) Bill, 2024
5. The Karnataka Professional Civil Engineers Bill, 2024
6. The Karnataka Repealing of Certain Enactments and Regional Laws Bill, 2024
7. Shree Chamundeshwari Kshetra Development Authority Bill, 2024
8. Shree Ghati Subramanya Kshetra Development Authority Bill, 2024
9. Shree Huligemma Devi Kshetra Development Authority Bill, 2024
10. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2024
11. The University of Trans-disciplinary Health Sciences and Technology (Amendment) Bill, 2024
12. The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation And Development) (Amendment) Bill, 2024
13. The Karnataka Police (Amendment) Bill, 2024
14. The Karnataka Stamp (Amendment) Bill, 2024
15. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Bill, 2024
16. The Karnataka Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment) Bill, 2024
17. The Karnataka Cine and Cultural Activists (Welfare) Bill, 2024
18. The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
19. The Karnataka Municipalities and Certain other Law (Amendment) Bill, 2024
20. The Karnataka Irrigation (Amendment) Bill, 2024
21. The Karnataka Land Revenue (Second Amendment) Bill, 2024
22. The Karnataka Ancient and Historical Monuments and Archeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2024
23. The Karnataka Medical Registration and Certain other Law (Amendment) Bill, 2024
24. Sri Renuka Yellamma Temple Development Authority Bill, 2024
25. The Karnataka Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes (Reservation of Appointments etc.,) (Amendment) Bill, 2024
26. The Karnataka Government Parks (Preservation) (Amendment) Bill, 2024
27. The Karnataka State Universities (Amendment) Bill, 2024
28. The Basavanabagewadi Development Authority Bill, 2024
29. The Karnataka Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
30. The Karnataka Tourism Ropeways Bill, 2024
31. The Chanakya University (Amendment) Bill, 2024
32. The Bruhat Bangalore Mahanagara Palike (Second Amendment) Bill, 2024
33. The Karnataka Groundwater (Regulation and Control of Development and Management) (Amendment) Bill, 2024
34. The Karnataka Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024
35. The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Bill, 2024
36. The Karnataka Protection of Interests of Depositors in Financial Establishments (Amendment) Bill, 2024
37. The Karnataka Land Revenue (Third Amendment) Bill, 2024

केरल

1. The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2024
2. The Kerala Municipality (Amendment) Bill, 2024
3. The Kerala Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
4. The Kerala Public Service Commission (Additional Functions as Respects certain Corporations and Companies) Amendment Bill, 2024
5. The Kerala Municipality (Second Amendment) Bill, 2024.
6. The Kerala Panchayat Raj (Second Amendment) Bill, 2024
7. The Kerala Revenue Recovery (Amendment) Bill, 2024
8. The Non-Resident Keralites' Welfare (Amendment) Bill, 2024
9. The Kerala Repealing And Saving Bill, 2024
10. The Kerala Industrial Single Window Clearance Boards and Industrial Township Area Development (Amendment) Bill, 2024
11. The Kerala Micro Small and Medium Enterprises and Other Enterprises Facilitation (Amendment) Bill, 2024
12. The Kerala Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Bill, 2024
13. The Kerala Taxation Laws (Amendment) Bill, 2024
14. The Kerala Bovine Breeding Bill, 2023
15. The Kerala Veterinary and Animal Sciences University (Amendment) Bill, 2024

मध्य प्रदेश

1. The Madhya Pradesh University of Medical Sciences (Amendment) Bill, 2024
2. The Provincial Small Cause Courts (Repeal) Bill, 2024
3. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
4. The Madhya Pradesh University (Amendment) Bill, 2024

5. The Madhya Pradesh Municipality (Amendment) Bill, 2024
6. The Madhya Pradesh Local Authority (Election Offences) Amendment Bill, 2024
7. The Madhya Pradesh University (Second Amendment) Bill, 2024
8. The Madhya Pradesh Correctional Services and Prisons Bill, 2024
9. The Madhya Pradesh Ministers (Salaries and Allowances) Amendment Bill, 2024
10. The Madhya Pradesh Private University (Establishment and Operation) Amendment Bill, 2024
11. The Madhya Pradesh Cow Slaughter Prohibition (Amendment) Bill, 2024
12. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024
13. The Madhya Pradesh Prevention and Safety Bill, 2024
14. The Madhya Pradesh Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker (Salaries and Allowances) Amendment Bill, 2024
15. The Madhya Pradesh Legislative Assembly Leader of Opposition (Salary and Allowances) Amendment Bill, 2024
16. The Madhya Pradesh Maa Sharda Devi Temple (Amendment) Bill, 2024
17. The Madhya Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2024
18. The Madhya Pradesh Municipality (Second Amendment) Bill, 2024
19. The Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2024
20. The Madhya Pradesh Private Schools (Regulation of Fees and Related Matters) Amendment Bill, 2024
21. The Madhya Pradesh University Law (Amendment) Bill, 2024
22. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra State Reservation for Socially and Educationally Backward Classes Bill, 2024
2. The Maharashtra Police (Amendment) Bill, 2024
3. The Mumbai Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2024
4. Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University (Amendment) Bill, 2024
5. The Maharashtra Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 2024
6. The Maharashtra Municipal Corporations (Amendment) Bill, 2024
7. The Maharashtra Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
8. The Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Bill, 2024
9. The Maharashtra Public Universities (Amendment) Bill, 2024
10. The Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admissions and Fees) (Amendment) Bill, 2024
11. The Maharashtra Competitive Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024
12. The Maharashtra Tax Laws (Amendment) Bill, 2024
13. The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Temporary Postponement of Elections (of the President, Vice-President and Chairmen of the Subjects Committees of certain Zilla Parishads and the Chairmen and Deputy Chairmen of certain Panchayat Samitis due to ensuing general elections to the State Legislative Assembly) Bill, 2024
14. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Bill, 2024
15. Shree Siddhi Vinayak Ganpati Temple Trust (Prabhadevi) (Amendment) Bill, 2024
16. The Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties (Amendment) Bill, 2024
17. The Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings (Amendment) Bill, 2024
18. The Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2024
19. The Hyderabad Abolition of Inams and Cash Grants (Amendment) Bill, 2024
20. The Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
21. The Maharashtra Stamp (Amendment) Bill, 2024
22. The Maharashtra Value Added Tax (Amendment and Validation) Bill, 2024
23. The Maharashtra National Law University (Amendment) Bill, 2024
24. The Maharashtra Private Universities (Establishment and Regulation) (Amendment) Bill, 2024
25. The Maharashtra State Skills University (Amendment) Bill, 2024
26. The Maharashtra Public Trusts (Amendment) Bill, 2024
27. The Maharashtra Private Skills Universities (Establishment and Regulation) Bill, 2024
28. The Maharashtra State Skills University (Second Amendment) Bill, 2024
29. The Maharashtra Public Libraries (Amendment) Bill, 2024
30. The Maharashtra Public Universities (Second Amendment) Bill, 2024
31. The Maharashtra Private Universities (Establishment and Regulation) (Second Amendment) Bill, 2024

मणिपुर

1. The Manipur Municipalities (11th Amendment) Bill, 2024
2. The Manipur Names of Places Bill, 2024
3. The Manipur Prevention of Malpractices in High School Leaving Certificate and Higher Secondary Examinations Bill, 2024
4. The Manipur Labour Laws (Exemption from Renewal of Registration and License by Establishment) Bill, 2024
5. The Manipur Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Bill, 2024
6. The Manipur Fiscal Responsibility and Budget Management (Fifth Amendment) Bill, 2024
7. The Manipur Contingency Fund Bill, 2024
8. The Dhanamanjuri University (Second Amendment) Bill, 2024
9. The Manipur Private School (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2024
10. The National Law University, Manipur Bill, 2024
11. The Manipur Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Bill, 2024

मेघालय

1. The Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2024
2. Captain Williamson Sangma State University (Amendment) Bill, 2024
3. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Bill, 2024
4. The Meghalaya State Investment Promotion & Facilitation Bill, 2024
5. The Meghalaya Civil Task Force Repealing Bill, 2024
6. The Meghalaya State Housing Board Repealing Bill, 2024
7. The Meghalaya Farmers' (Empowerment) Commission (Amendment) Bill, 2024
8. The Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
9. Captain Williamson Sangma State University (Amendment) Bill, 2024
10. The Meghalaya Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2024
11. The Meghalaya Community and Public Services Social Audit (Amendment) Bill, 2024

मिजोरम

1. The Mizoram Water Resources (Management and Regulation) Bill, 2024
2. The Mizoram Lokayukta (Amendment) Bill, 2024
3. The Mizoram Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
4. The Indian Stamp (Mizoram Amendment) Bill, 2024
5. The Mizoram Salaries and Allowances of Speaker and Deputy Speaker (Amendment) Bill, 2024
6. The Mizoram Salaries and Allowances of Minister (Amendment) Bill, 2024
7. The Mizoram Salaries and Allowances of Government Chief Whip and the Deputy Government Chief Whip (Amendment) Bill, 2024
8. The Mizoram Salaries and Allowances and Pension of Member of the Legislative Assembly (Amendment) Bill, 2024
9. The Mizoram Prisons and Correctional Services Bill, 2024
10. The Mizoram Public Records (Amendment) Bill, 2024
11. The Mizoram Ceiling on Government Guarantees (Amendment) Bill, 2024
12. The Mizoram Lokayukta (Amendment) Bill, 2024
13. The Mizoram Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024

नागालैंड

1. The Nagaland Salaries, Allowances & other Facilities of the CM, Speaker, Dy CM/Ministers, LoP, Dy Speaker and other MLAs and Pension for Ex-Members Bill, 2024
2. The Nagaland Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Bill, 2023
3. Disqualification on Ground of Defection in Urban Local Bodies Bill, 2024
4. The Nagaland Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Bill, 2024
5. The Nagaland Road Safety Authority (Second Amendment) Bill, 2024
6. The Nagaland Municipal (Amendment) Bill, 2024
7. The Nagaland Work-Charged and Casual Employees Regulation (First Amendment) Bill, 2024
8. The Global Open University Nagaland (Second Amendment) Bill, 2024

ओड़िशा

1. The Odisha Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
2. The Odisha Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024
3. The Odisha Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024

पुद्दूचेरी

1. The Puducherry Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2024
2. The Puducherry Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024

पंजाब

1. The East Punjab War Awards (Amendment) Bill, 2024
2. The Punjab Apartment and Property Regulation (Amendment) Bill, 2024
3. The Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
4. The Punjab Fire and Emergency Service Bill, 2024
5. The Punjab Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024
6. The Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2024

राजस्थान

1. The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
2. The Gandhi Vatika Trust, Jaipur (Repeal) Bill, 2024

सिक्किम

1. The Sikkim Enlistment of Constructional Machineries and Equipments Bill, 2024
2. The Duke International University Bill, 2024

3. The Matrix Skilltech University, Sikkim Bill, 2024
4. The Sikkim Legislative Members (Payment of Pension and Medical Allowances) (Amendment) Bill, 2024
5. The Sikkim Civil Courts (Amendment) Bill, 2024
6. The Sikkim Town and Country Planning Bill, 2024
7. The Sikkim Pannadhay University Bill, 2024
8. The Sikkim Court Fees and Stamps on Documents (Amendment) Bill, 2024
9. The Sikkim Registration of Tourist Trade Bill, 2024
10. The Sikkim Online Gaming (Regulation) Amendment Bill, 2024

तमिलनाडु

1. The Tamil Nadu Panchayats (Amendment) Bill, 2024
2. The Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Dr. J Jayalalithaa Memorial Foundation (Repeal) Bill, 2024
3. The Tamil Nadu Panchayats (Second Amendment) Bill, 2024
4. The Tamil Nadu Panchayats (Third Amendment) Bill, 2024
5. The Tamil Nadu Panchayats (Fourth Amendment) Bill, 2024
6. The Tamil Nadu Panchayats (Fifth Amendment) Bill, 2024
7. The Tamil Nadu Highways (Amendment) Bill, 2024
8. The Tamil Nadu State Highways Authority Bill, 2024
9. The Tamil Nadu Transparency in Tenders (Amendment) Bill, 2024
10. The Tamil Nadu Contingency Fund (Amendment) Bill, 2024
11. The Chennai Unified Metropolitan Transport Authority (Amendment) Bill, 2024
12. The Tamil Nadu Universities Laws (Amendment) Bill, 2024
13. The Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments (Amendment) Bill, 2024
14. The Tamil Nadu Development Action Plan for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Bill, 2024
15. The Tamil Nadu Panchayats (Sixth Amendment) Bill, 2024
16. The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Amendment Bill, 2024
17. The Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage (Amendment) Bill, 2024
18. The Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Bill, 2024
19. The Tamil Nadu Urban Local Bodies (Second Amendment) Bill, 2024
20. The Tamil Nadu Transparency in Tenders (Second Amendment) Bill, 2024
21. The Tamil Nadu Repealing Bill, 2024
22. The Chennai City Police Laws (Amendment) Bill, 2024
23. The Tamil Nadu Land Reforms (Fixation of Ceiling on Land) Amendment Bill, 2024
24. The Tamil Nadu Prohibition (Amendment) Bill, 2024
25. The Tamil Nadu State Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill, 2024
26. The Tamil Nadu Public Buildings (Licensing) Amendment Bill, 2024
27. The Tamil Nadu Local Authorities Entertainments Tax Act (Amendment) Bill, 2024
28. The Tamil Nadu Panchayats (Seventh Amendment) Bill, 2024
29. The Tamil Nadu Agricultural Produce Marketing (Regulation) Second Amendment Bill, 2024
30. The Tamil Nadu Hostels and Homes for Women and Children (Regulation) Amendment Bill, 2024
31. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
32. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024
33. The Tamil Nadu Private Universities (Amendment) Bill, 2024
34. The Tamil Nadu Catering Establishments (Amendment) Bill, 2024
35. The Tamil Nadu Mineral Bearing Land Tax Bill, 2024
36. The Tamil Nadu Heritage Commission (Amendment) Bill, 2024
37. The Tamil Nadu Advocates Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
38. The Tamil Nadu Advocates’ Clerks Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
39. The Tamil Nadu Court Fees and Suits Valuation (Amendment) Bill, 2024
40. The Tamil Nadu Goods and Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024

तेलंगाना

1. The Young India Skills University (Public-Private Partnership) Bill, 2024
2. The Telangana Civil Courts (Amendment) Bill, 2024
3. The Telangana Laws (Change of Acronyms) Bill, 2024
4. The Telangana (Regulation of Appointments to Public Services and Rationalisation of Staff Pattern and Pay Structure (Amendment) Bill, 2024
5. The Young India Physical Education and Sports University of Telangana Bill, 2024
6. The Telangana Universities (Amendment) Bill, 2024
7. The Telangana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
8. The Telangana Bhu Bharati (Record of Rights In Land) Bill, 2024
9. The Telangana Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualifications (Amendment) Bill, 2024
10. The Greater Hyderabad Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2024
11. The Telangana Municipalities (Amendment) Bill, 2024
12. The Telangana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024

त्रिपुरा

1. The Tripura Public Demand Recovery (Amendment) Bill, 2024

2. The Salaries, Allowances, Pension and other Benefits of the (Ministers, Speaker, Dy. Speaker, LoP, Government Chief Whip and the MLAs (Tripura) Eighth Amendment Bill, 2024
3. The Tripura Housing Board (Second Amendment) Bill, 2024
4. The Tripura State Goods and Service Tax (Eighth Amendments) Bill, 2024
5. The Tripura State Rifles (Fourth Amendment) Bill, 2023
6. The Tripura State Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Bill, 2023
7. Mata Tripura Sundari Open University, Tripura Bill, 2024

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Bill. 2024
2. The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Bill, 2024
3. The Uttar Pradesh Lifts and Escalators Bill, 2024
4. The Uttar Pradesh State Capital Region and other Regions Development Authority Bill, 2024
5. The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Bill 2024
6. The Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024
7. The Uttar Pradesh Nodal Investment Region for Manufacturing (Nirman) Kshetra Bill, 2024
8. The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2024
9. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Bill, 2024
10. The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Bill, 2024
11. The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Bill, 2024
12. The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2024
13. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2024
14. The Uttar Pradesh District Planning Committee (Amendment) Bill, 2024
15. The Uttar Pradesh Labor Welfare Fund (Amendment) Bill, 2024
16. The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Bill, 2024
17. The Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Bill, 2024
18. The Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Bill, 2024
19. The Uttar Pradesh Private Universities (Eighth Amendment) Bill, 2024
20. The Uttar Pradesh Gou-Seva Commission (Amendment) Bill, 2024
21. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2024
22. The Uttar Pradesh Sports Universities (Amendment) Bill, 2024
23. The Uttar Pradesh Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill, 2024

उत्तराखंड

1. The Uniform Civil Code of Uttarakhand, 2024
2. The Uttarakhand Private University (Amendment) Bill, 2024
3. The Uttarakhand Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2024
4. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Gangs and Anti Social Activities (Prevention) Act, 1986) (Amendment) Bill, 2024
5. The Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Bill, 2024
6. The Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Bill, 2024
7. The Uttarakhand Identified Agitators of Uttarakhand State Movement and their dependents in government service Reservation Bill, 2023
8. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Settlement Act, 1950) (Amendment) Bill, 2024
9. The Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Bill, 2024
10. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916) (Amendment) Bill, 2024
11. The Uttarakhand State Legislative Assembly Miscellaneous (Amendment) Bill, 2024
12. The Uttarakhand Prison and Correctional Services Bill, 2024

पश्चिम बंगाल

1. The Howrah Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2024
2. The West Bengal Non-Trading Corporation (Amendment) Bill, 2024
3. The West Bengal Additional Tax and One-Time Tax on Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2024
4. The West Bengal Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill, 2024
5. The West Bengal Thika Tenancy (Acquisition and Regulation) (Amendment) Bill, 2024
6. The West Bengal Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2024
7. The West Bengal Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes Development and Finance Corporation (Amendment) Bill, 2024
8. The West Bengal Entertainments and Luxuries (Hotels and Restaurants) Tax (Settlement of Dispute) Bill, 2024
9. The West Bengal Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2024
10. The West Bengal Municipal (Amendment) Bill, 2024
11. The West Bengal Goods And Services Tax (Amendment) Bill, 2024

अनुलग्नक 2: 2024 में राज्यों द्वारा पारित, किंतु मंजूरी प्राप्त न करने वाले बिल्स की सूची

सूची में 2024 में राज्यों द्वारा पारित बिल्स शामिल हैं जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है (31 मार्च, 2025 तक)।

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh Land Grabbing (Prohibition) Bill, 2024
2. The Andhra Pradesh Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Dacoits, Drug-Offenders, Goondas, Immoral Traffic Offenders and Land-Grabbers (Amendment) Bill, 2024

असम

1. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Assam Amendment) Bill, 2024
2. The Assam Land and Revenue Regulation (Second Amendment) Bill, 2024

गोवा

1. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Goa Amendment) Bill, 2024

गुजरात

1. The Gujarat Rents, Hotel and Lodging House Rates Control (Revival of Operation and Amendment) Bill, 2024
2. The Gujarat Special Courts Bill, 2024

हरियाणा

1. The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024
2. The Cigarettes and other Tobacco products (Prohibitions of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Haryana Amendment Bill, 2024
3. The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024
4. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Amendment) Bill, 2024

हिमाचल प्रदेश

1. The Prohibition of Child Marriage (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2024
2. The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2024
3. The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Bill, 2024
4. The Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh (Amendment) Bill, 2024
5. The Himachal Pradesh Police (Amendment) Bill, 2024
6. The Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding (Amendment) Bill, 2024

झारखंड

1. The Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill, 2024

कर्नाटक

1. The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2024
2. The Karnataka Souharda Sahakari (Amendment) Bill, 2024
3. The Karnataka Town and Country Planning (Amendment) Bill, 2024
4. The Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Bill, 2024
5. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Karnataka Amendment) Bill, 2024
6. The Gadag-Betageri Business, Culture and Exhibition Authority Bill, 2024
7. The Registration (Karnataka Amendment) Bill, 2024
8. The Karnataka Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill, 2024
9. The Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University (Amendment) Bill, 2024
10. The Karnataka (Mineral Rights and Mineral-bearing Land) Tax Bill, 2024
11. The Mysore Development Authority Bill, 2024
12. The Code of Civil Procedure (Karnataka Amendment) Bill, 2024

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Prisons and Correctional Services Bill, 2024

मणिपुर

1. The Manipur Scheduled Castes and Other Backward Classes (Regulation of Issuance and Verification of Caste Certificates) Bill, 2024

मेघालय

1. The Meghalaya Identification, Registration (Safety & Security) of Migrant Workers (Amendment) Bill, 2024

पुद्दूचेरी

1. The Puducherry Micro, Small and Medium Enterprises (Exemption from Approvals to Commence Business) Bill, 2024

पंजाब

1. The Punjab State Election Commission (Amendment) Bill, 2024

सिक्किम

1. The Gurukul Vidhyapeeth University Bill, 2024
2. The Sikkim Medical Science University Bill, 2024
3. The Orchid University Bill, 2024
4. The Management and Information Technology University Sikkim Bill 2024
5. Shri Rukmani Dwarkadhish University of Science and Technology Bill 2024
6. The Nirmala Devi University Bill, 2024

तमिलनाडु

1. The Tamil Nadu Fiscal Responsibility (Amendment) Bill, 2024
2. The Tamil Nadu State Medical Council Bill, 2024
3. The Chennai University (Amendment) Bill, 2024
4. The Tamil Nadu Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment and Validation Bill, 2024
5. The Tamil Nadu Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2024

तेलंगाना

1. The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Telangana Amendment) Bill, 2024

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh Nazul Properties (Management and Utilization for Public Purposes) Bill, 2024
2. The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2024
3. The Payment of Bonus (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2024

पश्चिम बंगाल

1. The Skill, Knowledge And Fashion University Bill, 2024
2. The Aparajita Woman and Child (West Bengal Criminal Laws Amendment) Bill, 2024
3. The Bhawanipur Global University Bill, 2024
4. The Ramakrishna Paramhansa University Bill, 2024
5. The Rabindranath Tagore University Bill, 2024

अनुलग्नक 3: 2024 में राज्यों द्वारा जारी अध्यादेशों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. The Andhra Pradesh Assigned Lands (Prohibition of Transfers) (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Andhra Pradesh Electricity Duty (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Andhra Pradesh Appropriation (Vote-on-Account No. 2) Ordinance, 2024
4. The Andhra Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2024
5. The Andhra Pradesh Prohibition (Amendment) Ordinance, 2024
6. The Andhra Pradesh (Regulation of Trade in Indian Made Foreign Liquor) (Amendment) Ordinance, 2024

अरुणाचल प्रदेश

1. The Arunachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Arunachal Pradesh (Re-organization of Districts) (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Arunachal Pradesh Flood Plain Zoning Ordinance, 2024

असम

1. The Assam Contingency Fund (Augmentation of Corpus) Ordinance, 2024
2. The Assam Right to Public Service (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Indian Stamp (Assam Amendment) Ordinance 2024
4. The Assam Repealing Ordinance, 2024
5. The Assam Skill University (Amendment) Ordinance, 2024
6. The Assam Contingency Fund (Augmentation of Corpus) Ordinance, 2024

बिहार

1. The Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance 2024

गोवा

1. The Indian Stamp (Goa Amendment) Ordinance, 2024
2. The Goa Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Goa Erection of Shacks on Public Beaches (Regulation and Control) Ordinance, 2024
4. The Goa Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2024
5. The Goa Legislative Diploma No. 2070 dated 15-4-1961 (Amendment) Ordinance, 2024
6. The Goa Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024
7. The Goa Clinical Establishments (Registration and Regulation) (Second Amendment) Ordinance, 2024

गुजरात

1. The Gujarat Laws (Amendment of Provisions) Ordinance, 2024
2. The Gujarat Prohibition (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Gujarat Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024

हरियाणा

1. The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Ordinance, 2024
2. The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2024
4. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2024
5. The Haryana Village Common Lands (Regulation) Amendment Ordinance, 2024
6. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024
7. The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Ordinance, 2024

कर्नाटक

1. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024

केरल

1. The Kerala State Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Kerala Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Kerala State Elderly Commission Ordinance, 2024

मध्य प्रदेश

1. The Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Madhya Pradesh University (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Madhya Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2024
4. The Madhya Pradesh Municipalities (Second Amendment) Ordinance, 2024

महाराष्ट्र

1. The Maharashtra Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Mumbai Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Ordinance, 2024
4. The Maharashtra State Skills University (Amendment) Ordinance, 2024
5. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships (Amendment) Ordinance, 2024
6. The Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties (Amendment) Ordinance, 2024
7. The Maharashtra Felling of Trees (Regulation) (Amendment) Ordinance, 2024
8. The Hyderabad Abolition of Inams and Cash Grants (Amendment) Ordinance, 2024
9. The Maharashtra Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024
10. The Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Ordinance, 2024

11. The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Temporary Postponement of Elections (of the President, Vice-President and Chairmen of the Subjects Committees of certain Zilla Parishads and the Chairmen and Deputy Chairmen of certain Panchayat Samitis due to ensuing general elections to the State Legislative Assembly) Ordinance, 2024
12. The Maharashtra Stamp (Amendment) Ordinance, 2024
13. The Maharashtra Public Libraries (Amendment) Ordinance, 2024
14. The Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings (Amendment) Ordinance, 2024
15. Shree Siddhi Vinayak Ganpati Temple Trust (Prabhadevi) (Amendment) Ordinance, 2024
16. The Maharashtra Public Universities (Amendment) Ordinance, 2024
17. The Maharashtra Public Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024
18. The Maharashtra State Skills University (Second Amendment) Ordinance, 2024

मणिपुर

1. The Manipur Goods and Services Tax (Eight Amendment) Ordinance, 2024
2. The Manipur Lokayukta (Amendment) Ordinance, 2024

मेघालय

1. The Contingency Fund of Meghalaya (Amendment) Ordinance, 2024
2. Captain Williamson Sangma State University (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Meghalaya Farmers' (Empowerment) Commission (Amendment) Ordinance, 2024
4. The Meghalaya Private Medical Institution Including Institutes Under Private University (Regulation of Admission, Fixation of Fees and Reservation) Ordinance, 2024

मिजोरम

1. The Mizoram Lokayukta (Amendment) Ordinance, 2024

नागालैंड

1. Disqualification on Ground of Defection in Urban Local Bodies Ordinance, 2024

ओड़िशा

1. The Odisha Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2024

राजस्थान

1. The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024

तेलंगाना

1. The Telangana Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Telangana Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualifications (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Telangana Municipalities (Amendment) Ordinance, 2024
4. The Greater Hyderabad Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2024
5. The Telangana Goods and Services (Amendment) Ordinance, 2024

उत्तर प्रदेश

1. The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2024
2. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024
3. The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2024
4. The Uttar Pradesh State Capital Region and Other Regions Development Authority Ordinance, 2024
5. The Uttar Pradesh Nazul Properties (Management and Utilization for Public Purposes) Ordinance, 2024
6. The Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Ordinance, 2024
7. The Uttar Pradesh Criminal Law Amendment Ordinance, 2024
8. The Uttar Pradesh Special Law (Amendment) Ordinance, 2024
9. The Uttar Pradesh Private University (Fourth Amendment) Ordinance, 2024
10. The Uttar Pradesh Private University (Fifth Amendment) Ordinance, 2024
11. The Uttar Pradesh Private University (Sixth Amendment) Ordinance, 2024
12. The Uttar Pradesh State University (Amendment) Ordinance, 2024
13. The Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2024
14. The Uttar Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission (Amendment) Ordinance, 2024
15. The Uttar Pradesh Gou-Seva Commission (Amendment) Ordinance, 2024
16. The Uttar Pradesh Private University (Eighth Amendment) Ordinance, 2024
17. The Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure) (Amendment) Ordinance, 2024
18. The Uttar Pradesh Private University (Nineth Amendment) Ordinance, 2024
19. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024
20. The Uttar Pradesh Private University (Tenth Amendment) Ordinance, 2024
21. The Uttar Pradesh Sports University (Amendment) Ordinance, 2024
22. The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2024

उत्तराखंड

1. The Uttarakhand Recovery of Damages to Public and Private Property Ordinance, 2024
2. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2024
3. The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipality Act, 1916) (Amendment) Ordinance, 2024

---

[1] The Karnataka Conduct of Government Business in the State Legislature Act, 2005, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/2005/2005KR26.pdf.

[2] Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Vidhan Sabha, https://punjabassembly.nic.in/images/docs/RulesofProcedure/10531%20rules%20and%20procedure.pdf.

[3] Rules of Procedure and Conduct of Business of the U.P. Legislative Assembly, 1958 (As corrected up to February, 2022) https://uplegisassembly.gov.in/Niyamavali/pdf/Rules_english/1_niyamavali_1958_english.pdf.

[4] Kerala Public Records Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/kerala/2023/Bill-174of2023-Kerala.pdf.

[5] Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2024/Bill7of2024RJ.pdf.

[6] The Greater Bengaluru Governance Bill, 2024 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/karnataka/2024/Bill34of2024KA.pdf.

[7] Joint select committee on the Greater Bengaluru Governance Bill, 2024 https://kla.kar.nic.in/assembly/commjsc5/jsc5.htm.

[8] The Maharashtra Public Security Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/maharashtra/2024/Bill33of2024MH.pdf.

[9] SC notice to Centre on plea that no polls were held to posts of Deputy Speakers in Parliament, five Assemblies, February 14, 2023, The Hindu, https://www.thehindu.com/news/national/sc-seeks-centres-reply-on-plea-alleging-non-election-of-deputy-speaker-in-lok-sabha-various-state-assemblies/article66505739.ece.

[10] Writ Petition (Civil) No. 302 of 2023, State of Punjab versus Principal Secretary to the Governor of Punjab and Another, Supreme Court, November 10, 2023. https://digiscr.sci.gov.in/view_judgment?id=MzIyNTE=

[11] Bulletin – I, 7th February 2024, West Bengal Legislative Assembly, http://wbassembly.gov.in/wblaBusiness.aspx.

[12] Bulletin I, West Bengal Legislative Assembly, February 10, 2025, http://wbassembly.gov.in/wblaBusiness.aspx.

[13] RN Ravi refuses to read Governor's address in TN Assembly, The Hindu, February 13, 2024, https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/r-n-ravi-refuses-to-read-governors-address-at-tn-legislative-assembly-says-it-would-be-constitutional-travesty/article67837317.ece.

[14] Tamil Nadu Governor R.N. Ravi walks out of Assembly without reading customary address. The Hindu, January 07, 2025, https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/tamil-nadu-governor-walks-out-of-assembly-without-reading-address/article69066970.ece.

[15] Writ Petition (Civil) No 1239 of 2023, Supreme Court of India, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2023/45314/45314_2023_11_1501_60770_Judgement_08-Apr-2025.pdf.

[16] Writ Petition (Civil) No 1264/2023, Supreme Court of India, https://api.sci.gov.in/supremecourt/2023/45758/45758_2023_1_3_48678_Order_29-Nov-2023.pdf.

[17] The Jharkhand Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Bill, 2023 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/jharkhand/2023/Bill_Text_Jharkhand_prohibition_of_violence_against_medical_personnel.pdf

[18] The Maharashtra Special Public Security Bill, 2024 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/maharashtra/2024/Bill33of2024MH.pdf.

[19] The Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill, 2024 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/jharkhand/2024/Bill8of2024JH.pdf.

[20] The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025 https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/jharkhand/2025/Act4of2025JH.pdf

[21] The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Act, 2025 https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/haryana/2025/Act9of2025HRE.pdf.

[22] The Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023 https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/rajasthan/2023/Act21of2023Rajasthan.pdf.

[23] Civil Appeal Nos 4056-4064 of 1999 with others, Supreme Court of India, https://scourtapp.nic.in/supremecourt/1999/9012/9012_1999_1_1501_54138_Judgement_25-Jul-2024.pdf.

[24] The Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Bill, 2024 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/rajasthan/2024/Bill7of2024RJ.pdf

[25] The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024 https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/haryana/2024/Bill6of2024HR.pdf.

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च

इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय
212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002
टेलीफोन: (011) 2323 4801,4343 4035
www.prsindia.org